रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2006/चैत्र 15, 1928
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2006/CHAITRA 15, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : जापान तथा यू एस ए से एनिलीन के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/2/2005-डी जी ए डी.— चूंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन एवं पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.8.2000 को जारी अधिसूचना सं0 33/1/99-डी जी ए डी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम ज़ारी किए थे और जापान तथा यू एस ए (जिन्हें एतद्पश्चात सम्बद्ध देश भी कहा गया है) से एनिलीन (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 6 अक्तूबर, 2000 को जारी सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 128/2000-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया था ।

2. और चूंकि उत्पादकों, जो घरेलू उद्योग अर्थात् मेसर्स नर्मदा चेमातुर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एन सी पी एल), भडौंच तथा मेसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एच ओ सी एल), मुम्बई का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने एक आवेदन प्रस्तुत करके सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित

सम्बद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए जापान तथा यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनिलीन के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार था कि संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा यह समीक्षा करने के लिए उपयुक्त होगी कि क्या यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9 क (5) के प्रावधान के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति का जारी रहना अथवा उनकी निरन्तरता सम्भावित रहेगी । निर्णायक समीक्षा की शुरूआत अधिसूचना सं0 15/2/2005 - डी जी ए डी दिनांक 6 अप्रैल, 2005 द्वारा की गयी । सीमाशुल्क अधिसूचना 128/2000 दिनांक 6.10.2000 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क अनन्तिम शुल्क लगाने की तारीख अर्थात 10 अप्रैल, 2000 से पांच वर्ष तक लगाया जाना था । दिनांक 6.4.2005 को शुरू निर्णायक समीक्षा तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 क (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 19 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं0 85/2005- सीमाशुल्क द्वारा पाटनरोधी शुल्क की अवधि 9 अप्रैल, 2006 तक बढ़ा दी ।

क. मूल जांच

3. मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जापान तथा यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनिलीन, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची । के उपशीर्ष 2921.41 के तहत आता है, के आयात पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्रारम्भिक जांच परिणाम 8.3.2000 को जारी किए गए थे और दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 41/2000 द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं पर अनन्तिम शुल्क लगाया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं0 33/1/99-डी जी ए डी द्वारा दिनांक 31.8.2000 को जारी किए गए और सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचना सं0 128/2000 दिनांक 6.10.2000 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।

ख. प्रक्रिया

4. इस निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई:-

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2006 की जांच की शुरूआत से संबंधित अधिसूचना की एक-एक प्रति उपलब्ध सूची के अनुसार सम्बद्ध देशों के दूतावासों, घरेलू उद्योग, निर्यातकों एवं आयातकों को भिजवाई गई और उनसे अपने विचार लिखित में अधिसूचना के चालीस दिन के भीतर भेजने का अनुरोध किया गया ।

(ii) ऊपर उल्लिखित नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों एवं सम्बद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों को तथा ऊपर उल्लिखित नियम 6 के उप नियम (4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भिजवाकर उनसे इस समीक्षा की शुरूआत की तारीख से 40 दिन के भीतर अपेक्षित जानकारी भिजवाने का अनुरोध किया गया:-

मेसर्स यूनीरॉयल केमिकल कंपनी इंक.
मिडिलबरी,सी टी 06749, यू एस ए

मेसर्स एरिस्टेक केमिकल कार्पोरेशन
पिट्सबर्ग, पी ए 15219, यू एस ए

मेसर्स अल्फा ऐसार
ए0 जॉनसन मॅथी कम्पनी
जॉनसन मॅथी कॅटलाग कम्पनी इंक
मेसाच्युसेट्स 01835, यू एस ए

मेससं रूबाकॉन एल एल सी

गिजमर, लॉस एंजिल्स 70734

मेसर्स ड्यू पांट ग्लोबल हेडक्वार्टर्स,

विल्मिंगटन, डी ई 19898

मेसर्स ड्यू पांट कार्पोरेट इंफॉर्मेशन सेन्टर,

विल्मिंगटन, डी ई 19880-0705

मेसर्स बी ए एस एफ

न्यू जर्सी 07932, यू एस ए

बेयर कॉर्पोरेट एण्ड बिजनेस सर्विसेज

पिट्सबर्ग, पी ए 15205

यू एस ए

मेसर्स होन्शू केमिकल इण्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेड

1 - कोम, टोक्यो 103, जापान

मेसर्स सुमीटोमो केमिकल

ओसाका 541-8550 जापान

मित्सुई केमिकल्स इंक फिनॉल डिपार्टमेंट

टोक्यो 105 - 7117, जापान

मेसर्स न्यू जापान केमिकल कम्पनी लिमिटेड

जापान

(iii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) से सम्बद्ध वस्तुओं के आयात का ब्यौरा जुटाने का अनुरोध किया गया ।

(iv) नियम 6(2) के अनुसरण में सम्बद्ध देशों के दूतावासों को जांच की शुरूआत के बारे में अवगत कराया गया और उन्हें उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित अवधि में भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया । निर्यातकों को प्रेषित पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक-एक प्रति भी उन्हें भिजवाई गई ।

(v) नियम 6(4) के अनुसरण में सम्बद्ध वस्तुओं के भारत स्थित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/उद्योग एसोसिएशनों को एक प्रश्नावली भिजवाकर अपेक्षित जानकारी भिजवाने का अनुरोध किया गया:

आरती इण्डस्ट्रीज लि0
मुलुण्ड (प.), मुम्बई

अबीर केमिकल्स लि0
अहमदाबाद

एल्जीनेट्स एलाइड केमिकल्स प्रा0 लिमिटेड
ए-41, एम आई डी सी, बदलापुर - 421503

अल्फा डाइज एण्ड केमिकल्स
अहमदाबाद

एनिरॉक्स पिगमेंट्स लि0
कोलकाता

एशियाटिक कलर केम इण्डस्ट्रीज

अहमदाबाद

अतुल लिमिटेड

हैदराबाद

बेयर इण्डिया लि0

मुम्बई

बेक (इण्डिया) लि0

पुणे

भगेरिया डाइकेम लि0

मुम्बई - 400063

डायमण्ड डाइकेम

मुम्बई

गांधार पेट्रोकेमिकल्स लि0

वडोदरा

गणेश केमिकल इण्डस्ट्रीज

मुम्बई

हिन्दुस्तान इंक्स एण्ड रेजिन्स लि0

वापी - 396195

इण्डस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एण्ड केमिकल्स लि0

मुम्बई

इंटरनेशनल डाइस्टफ इण्डस्ट्रीज

वड़ोदरा

जय केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0

अहमदाबाद

मंगलम ड्रग्स एण्ड ऑर्गेनिक्स

मुम्बई

मयूर डाइकेम इंटरमीडिएट्स

अहमदाबाद

मेघमणि डाइज एण्ड इंटरमीडिएट्स

अहमदाबाद

मेट्रोकेम इण्डस्ट्रीज लि0

अहमदाबाद

मेसर्स नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0

पोस्ट - तुर्भे, ऑफ ठाणे, बेलापुर रोड

नूतन डायकेम

सूरत

पण्डसारा इण्डस्ट्रीज लि0

पण्डसारा

रवि डाइवेयर कम्पनी लि0

मुम्बई

रूप डाइज एण्ड इण्टरमीडिएट्स

सुरेन्द्रनगर

होनेक्टेडी बैक (इण्डिया) लि0

मुम्बई

सोनकमल एण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0

मुम्बई

विपुल डाइकेम लि0

मुम्बई

(vi) कुछ हितबद्ध पक्षों ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दे दी गई ।

(vii) दिनांक 28 फरवरी, 2006 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया । विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षों से उनके द्वारा व्यक्त विचार लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया । पक्षों को विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां प्राप्त करके खण्डन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया ।

(viii) नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षों को उनके अनुरोध पर सार्वजनिक फाइल, जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं, निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई ।

(ix) निर्णायक जांच समीक्षा की शुरूआत के बाद सार्वजनिक सुनवाई व तथ्योद्घाटन के उपरान्त हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर इस जांच रिपोर्ट में यथा स्थान विचार किया गया है ।

(x) ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में इस जांच रिपोर्ट मे जिन तथ्यों/आधारों पर विचार किया गया, उन्हें एक तथ्योद्घाटन विवरण के माध्यम से दिनांक 20 मार्च, 2006 को हितबद्ध पक्षों को अवगत कराया गया । तथ्योद्घाटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इस जांच रिपोर्ट में विचार किया गया है ।

(xi) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) एवं घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर भारत में सम्बद्ध वस्तुओं की ईष्टतम उत्पादन लागत तथा विनिर्माण व बिक्री लागत की गणना हेतु घरेलू उद्योग की मौके पर सत्यापन (जैसा आवश्यक समझा गया) सहित लागत जांच भी की गयी ।

(xii) इस अधिसूचना में **** हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसे नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय समझा गया है ।

(xiii) इस जांच में 1 अक्तूबर, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 की अवधि शामिल की गई । क्षति विश्लेषण में जांच अवधि के साथ-साथ पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात 2001-2002, 2002-03 तथा 2003-2004 को शामिल किया गया ।

(xiv) शुरूआत नोटिस की प्रतियां व्यापक परिचालनार्थ फिक्की, सी आई आई, एसोचेम आदि को भिजवाई गई ।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तुः

5. विचाराधीन उत्पाद एनिलीन है, जिसे एनिलीन ऑयल (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु भी कहा गया है) के नाम से भी जाना जाता है । यह सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची । के सीमाशुल्क उप शीर्ष 2921.41 के अंतर्गत आता है । तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बंधनकारी नहीं है । डाईस्टफ एवं डाई इण्टरमीडिएंट, औषधि, भेषज, रबड़ केमिकल आदि जैसे उद्योगों के लिए एनिलीन एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है । एनिलीन का प्रयोग अन्य उद्योगों जैसे विस्फोटकों तथा रेजीनों आदि के विनिर्माण में भी किया जाता है । डाईस्टफ, रबड़ केमिकल्स (वल्कनीकरण, एक्सीलरेटर, एण्टी ऑक्सीडेंट आदि), एनाल्जिन जैसी औषधियों, सल्फा औषधियों, फोटोग्राफिक रसायनों (हाइड्रोक्विनोन), आईसोसाइनेट (एम डी आई) के लिए एनिलीन एक इण्टरमीडिएट है ।

घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित एनिलीन तथा सम्बद्ध देशों से आयातित एनिलीन भौतिक गुणधर्मों, रसायनिक संघटन, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, संयत्र एवं उपकरणों, कार्यों, उपयोग तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान है । तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु की दृष्टि से उनमें कोई भ्रांति नहीं है । प्राधिकारी का अभिमत है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित एनिलीन, सम्बद्ध देशों से आयातित एनिलीन के समान वस्तु है ।

घ. घरेलू उद्योग

6. उत्पादक, जो घरेलू उद्योग अर्थात मेसर्स नर्मदा चेमातुर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एन सी पी एल), भडौंच एवं मेसर्स हिन्दुस्तान ऑगेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल), मुम्बई का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने एक याचिका दायर करके पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया है । एनिलीन के घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात में दोनों उत्पादकों का योगदान है । प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में दोनों उत्पादकों को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि माना है ।

ङ. जांच की शुरूआत, प्राप्त उत्तर एवं उठाए गए मुद्दे:

7. जांच के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित ने उत्तर प्रस्तुत किया है:

(i) मेसर्स मित्सुई केमिकल्स, इंक जापान - निर्यातक

(ii) मेसर्स बेयर कार्पोरेट एण्ड बिजनेस सर्विसेज, पिट्सबर्ग, यू एस ए ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने की मांग की, जिसकी अनुमति दे दी गई । तथापि उन्होंने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए ।

(iii) मेसर्स नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0 (एन ओ सी आई एल), नवी मुम्बई, - आयातक

(iv) मेसर्स कलरटेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, सूरत - आयातक

(v) डाइस्टफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई

(vi) घरेलू उद्योग, मेसर्स एन सी पी एल, भड़ौच तथा एच ओ सी एल, मुम्बई के माध्यम से ।

च. सामान्य कीमत, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन के संबंध में दावों की जांच:

घरेलू उद्योग का तर्क:

8. भारत में एनिलीन का आयात

पिछले अनेक वर्षों से एनिलीन का भारी मात्रा में आयात किया जाता रहा है । इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लागू पाटनरोधी शुल्कों ने आयातकों को कभी प्रभावित नहीं किया । भारत में इस उत्पाद के पाटन एवं इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के संबंध में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । इससे इस तथ्य की पुनः पुष्टि होती है

कि आयातक द्वारा लगाया गया यह आरोप कि विभिन्न स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एनिलीन के प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, आधारहीन है । वैसे भी यू एस ए, यूरोपीय संघ तथा जापान ही एकमात्र देश है जिनके विरूद्ध पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क विद्यमान है ।

भारत में एनिलीन के आयातों से संबधित सूचना नीचे सारणी में दी गयी है:-

देश	2001-02		2002-03		2003-04		जांच अवधि	
	मात्रा मी.टन	रू./मी.टन	मात्रा मी.टन	रू./मी.टन	मात्रा मी.टन	रू./मी.टन	मात्रा मी.टन	रू./मी.टन
अमरीका	2001	27919	3245	31803	1052	32425	1052	32425
जापान	0	0	0	0	22	40410	22	40410
अन्य	8807	28556	8426	22676	12707	35105	8155	36066
कुल	10808	28438	11670	25213	13781	34909	9929	35661

यह देखा जाएगा कि:

(क) अमरीका से आयात जारी रहे थे;

(ख) कीमत से सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क और निविष्टियों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हैं;

(ग) पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रहे थे;

(घ) वर्तमान उपायों के कारण जापान से आयात नगण्य स्तर पर पहुँच गए;

(ड.) वर्तमान उपायों के प्रतिसंहरण की स्थिति में अमरीका और जापान से अधिक पाटन के पुनः प्रारंभ होने की पूरी संभावना है;

(च) विभिन्न देशों से सामग्रियों की बड़ी मात्रा का आयात हुआ है, जिसकी औसत कीमत वर्षों तक बहुत कम बनी रही । ऐसी कीमतें बिक्री आय से कम थीं और वे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम थीं ।

जारी पाटन को समाप्त करने के लिए वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन में अत्यधिक वृद्धि हुई है और पाटन मार्जिनों में ऐसी वृद्धियों को समाप्त करने के लिए शुल्कों को बढ़ाना आवश्यक है । यूएसए और जापान से पाटित आयातों के मामले में घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त और सटीक आंकड़े उपलब्ध कराए है, जिन पर विश्वास किया गया है ।

10. पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

पाटनरोधी कानूनों में यह अधिदेशित किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि लागू शुल्क के समाप्त होने से पूर्व पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है अथवा नहीं ।

निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए नियमावली में कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं की गई है । विश्व भर में जांचकर्ता प्राधिकारियों की पद्धतियों में भी एकरूपता नहीं है । भारत में, उत्तरदाता निर्यातकों के लिए अद्यतन अवधि हेतु पाटन मार्जिन का पुनः परिकलन किया जाता है, बशर्ते कि वर्तमान जांच अवधि में आयात किए गए हों । यदि समीक्षा अवधि में आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा हो, तो इस बात की संभावना है कि पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त कर दिए जाने के बाद भी पाटन जारी रहेगा । तथापि, यदि वर्तमान जांच अवधि में कोई निर्यात नहीं किए गए हैं तो इससे प्रदर्शित होता है कि पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है । इस मामले में अन्य संगत कारकों की जांच की जानी चाहिए । उदाहरणतः पाटन संबंधी प्रवृत्ति के साक्ष्य का निर्धारण, पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के दौरान निर्यातकों द्वारा तीसरे देश के बाजारों में पाटन संबंधी साक्ष्य पर विचार करके, आसानी से किया जा सकता है ।

याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की जांच निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करके की जा सकती है:-

11. पाटन का जारी रहना

ऐसी स्थिति में, जहां निरंतर निर्यात हो रहे है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वे पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं । यदि भारत को होने वाले निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं किए जा रहे हैं तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या तीसरे देशों को निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं और क्या यह प्रतीत होता है की निर्यात कीमतें उचित एवं विश्वसनीय हैं । यदि भारत को हो रहे निर्यात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में निर्यातक पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का निर्यात करना जारी रखेंगे ।

वर्तमान मामले में, यूएसए और जापान दोनों के निर्यातकों और उत्पादकों ने "पाटनरोधी शुल्कों" के लागू रहते हुए भी पाटित कीमतों पर सामग्री का निर्यात करना जारी रखा है ।

12. पाटन की पुनरावृत्ति

ऐसी स्थिति में जहां यह पाया जाता है कि संगत अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया गया है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारतीय घरेलू बाजार में पाटन की पुनरावृत्ति होगी । वर्तमान मामले में, जापान के उत्पादक एवं निर्यातक लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण भारतीय बाजार को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने हेतु बहुत अधिक उत्साहित नहीं हैं । अतः भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करने संबंधी विदेशी उत्पादकों की प्रवृत्ति हेतु लागू पाटनरोधी शुल्क एक निवारक का कार्य कर रहा है ।

इस बात की जांच करने के लिए कि क्या शुल्क की समाप्ति से जापान के निर्यातकों को एक बार फिर भारत को पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के बढ़े हुए स्तर पर निर्यात करने की अनुमति मिल जाएगी, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या जापान से तीसरे देशों को निर्यात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं और उन निर्यात कीमतों की तुलना (क) भारत में अन्य स्रोतों से प्राप्त आयात कीमत; (ख) भारतीय उत्पादकों की बिक्री कीमत से कैसे की जा सकती है । भारतीय उत्पादकों ने यह निवेदन किया है कि ऐसी स्थिति में, जहां तीसरे देशों को निर्यात पाटित कीमतों पर किए जाते है और (क) ऐसी निर्यात कीमतें, भारत को अन्य देशों से होने वाले निर्यात की कीमतों से तुलनीय है; और (ख) आयातों की पहुँच कीमत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन देशों में उत्पादक वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में सामग्री का पाटन करना शुरू कर देंगे ।

याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि तीसरे देशों के निर्यातों के संबंध में पाटन की संभावनाओं की जांच करना अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की प्रवृति रहीं है विशेषकर तब जब वर्तमान अवधि में भारत को कोई निर्यात नहीं किए गए हैं । यदि ऐसे आयात पाटित कीमतों पर किए गए हैं, तो प्राधिकारियों का मानना है कि पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी ।

13. वर्तमान पाटन मार्जिन का स्तर

याचिकाकर्ता ने दायर की गई याचिका के खण्ड III में पाटन मार्जिनों के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई है । यह भी देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन लगातार काफी अधिक रहा है । पूर्व में समाप्त जांच में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन काफी अधिक पाया था और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी लगाते हुए जांच समाप्त की थी ।

14. तीसरे देशों से संबंधित पाटन

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातक/उत्पादक, विश्वभर में पाटित कमतों पर भारी मात्रा का निर्यात कर रहे हैं ।

15. संबद्ध देशों में बेशी उत्पादन क्षमता

निम्न तालिका में जापान में एनीलिन के मांग-आपूर्ति अनुपात पर प्रकाश डाला गया है:-

विवरण	मीट्रन/वर्ष
मित्सुई केमिकल	124000
सुमिटोमो केमिकल कम्पनी	60000
होन्शू केमिकल	60000
न्यू जापान	60000
कुल क्षमता	304000
जापान में मांग	196000
बेशी क्षमता	108000

नोटः- मित्सुई निवेदन के अनुसार मित्सुई क्षमता
नोसिल के उत्तर में किए गए दावे के अनुसार
अन्य उत्पादकों की क्षमता
www.highbeam.com/library/doc0.asp?DOCID
में प्रकाशित समाचार के अनुसार जापान में मांग

जापान में मौजूद उपर उल्लिखित बेशी क्षमता के मद्देनजर, निर्यातक व्यापारियों के लिए भारत को संबद्ध वस्तु के पाटित कीमतों पर निर्यात पर कोई प्रतिबंध अथवा रोक मौजूद नहीं है । वर्तमान जांच अवधि में जापान से सूचित आयातों से यह प्रदर्शित होता है कि निर्यातक/उत्पादक भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन कर रहे हैं और पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में उनके द्वारा और अधिक पाटन किए जाने की संभावना है । जांच अवधि में यूएसए से पाटित कीमतों पर सूचित आयातों की पर्याप्त मात्रा, शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में अत्यधिक पाटन की संभावित स्थिति का एक संकेतक है ।

16. आयातों का पर्याप्त बाजार हिस्सा

संबद्ध देशों एवं अन्य देशों से आयातों के बाजार हिस्से के संबंध में सूचना, याचिका में दी गई है । यह देखा जा सकता है कि इन देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में आयातों के बाजार हिस्से में वर्ष 2003-2004 तक गिरावट आई तथा जांच अवधि में इसमें वृद्धि प्रदर्शित हुई । अतः यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में आगे और वृद्धि होगी । इस बात पर विश्वास

करने का कोई कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में इन देशों के उत्पादक अत्यधिक उच्च मात्रा की बिक्री नहीं करेंगे और अपने बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं करेंगे ।

17. भारत को पाटित निर्यातों में वृद्धि की संभावना

यूएसए एवं जापान में उत्पादकों एवं निर्यातकों के पास उत्पादन की बेशी क्षमता है । इन उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमता उनके देशों में न केवल मांग से अधिक है बल्कि क्षमताएं अप्रयुक्त भी हैं । केवल एक उत्पादक की क्षमता भी कुल भारतीय मांग से उच्च है । पाटनरोधी शुल्क के लागू रहते हुए, संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर हो रहे लगातार आयात, भारतीय बाजार की ओर विदेशी उत्पादकों के रूझान का संकेतक है ।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से याचिकाकर्ता निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचे हैं :-

(क) संबद्ध देशों में बेशी क्षमता उपलब्ध है ।

(ख) संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा सृजित क्षमता, उनके अपने देशों में मौजूद मांग से उच्च है । वे स्पष्टतः भारत सहित निर्यात बाजारों को लक्षित कर रहे हैं ।

(ग) उत्पादक और निर्यातक के पास पर्याप्त बेशी अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है, जिसका उपयोग भारत सहित अन्य बाजारों पर पकड़ बनाने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है ।

(घ) संबद्ध देशों से उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा पाटन जारी है, जो लागू शुल्क की समाप्ति पर और अधिक बढ़ जाएगा ।

18. सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग ने दायर की गई याचिका में संबद्ध देशों में एनीलिन के सामान्य मूल्य में संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है । घरेलू उद्योग ने सूचित किया कि यूएसए और जापान के घरेलू बाजारों में एनीलिन की कीमतों के विषय में उचित और प्रामाणिक साक्ष्य जुटाने हेतु प्रयास किए गए थे । इन देशों के उत्पादकों द्वारा घरेलू बाजार में उनकी बिक्रियों, अथवा उनके द्वारा तैयार किए गए वाणिज्यिक बीजकों अथवा यूएसए और जापान में अन्य व्यापारियों द्वारा की गई बिक्रियों की कीमत सूची के विषय में सूचना प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए थे । तथापि, चूंकि उत्पाद का व्यापार खुदरा बाजार में नहीं किया जाता है इसलिए किसी प्रामाणिक स्रोत से प्रकाशित सूचना अथवा अन्यथा किसी सूचना का पता नहीं लगाया जा सकता ।

घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में उत्पादन लागत के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर विचार करके संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है । जापान के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री बेंजीन की लागत, अक्तूबर, 2003 से सितम्बर, 2004 की अवधि के लिए केमिकल वीकली में सूचित कीमत पर आधारित थी । अक्तूबर,2003 से सितम्बर, 2004 की अवधि के लिए यूएसए हेतु बेंजीन की कीमत प्लैट्स रिपोर्ट में सूचित कीमत पर आधारित थी । अन्य कच्ची सामग्रियों, परिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित हैं । घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि इस संबंध में संबद्ध देशों में संबद्ध उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उनके द्वारा उपलब्ध

कराई गई सूचना पर, विश्वास किया जा सकता है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा पर्याप्त और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

प्राधिकारी पाते है कि यूएसए से निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है । मै0 मित्सुई केमिकल्स जापान ने उत्तर प्रस्तुत किया है किन्तु उन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया है । उनके उत्तर में परिशिष्ट 7 के अनुसार लागत के आबंटन और संविभाजन से संबंधित सूचना पूर्ण नहीं है और परिशिष्ट 9 में एसजीए ऊपरी खर्चों के आबंटन से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है । कम्पनी कई उत्पादों का उत्पादन करती है । पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कि दर्शाई गई उत्पादन लागत का सत्यापन उपलब्ध वित्तीय विवरणों से किया जा सके । वासतव में, उत्तर दायर करने का एकमात्र कारण इस बात का तर्क देना प्रतीत होता है कि निर्यातक ने वास्तव में उत्तर दिया है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि जब तक निर्यातक द्वारा पूर्ण संगत सूचना उपलब्ध न करा दी जाए तब तक निर्यातक को असहयोगी माना जाना चाहिए । प्राधिकारी ने उपर्युक्त कारणों से जापान के निर्यातक के उत्तर को अपूर्ण पाया है । प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर आधारित जापान और यूएसए हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया है। ऐसा करते हुए, प्राधिकारी ने रसायन उद्योग में व्यापक रूप से परिचालित केमिकल वीकली में यथा सूचित जापान के लिए बैंजीन की कच्ची सामग्री की कीमत पर विश्वास किया है । यूएसए के लिए बेंजीन की कच्ची सामग्री की कीमत के संबंध में, अक्तूबर, 2003 से सितम्बर, 2004 की अवधि के लिए प्लैट्स रिपोर्ट में सूचित कीमत पर विचार किया गया है । उपयोगी वस्तुओं की लागत, परिवर्तन लागत, बिक्री सामान्य और प्रशासनिक व्यय का परिकलन, घरेलू उद्योग के कार्यकुशल उत्पादक की लागत के आधार पर किया गया है । सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक उचित लाभ मार्जिन भी जोड़ा गया है ।

19. निर्यात कीमत

घरेलू उद्योग ने दायर की गई याचिका में निर्यात कीमत का विस्तृत परिकलन उपलब्ध कराया है । याचिकाकर्ता द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार, कांडला पत्तन और जेएनपीटी/मुम्बई पत्तन से पर्याप्त मात्रा का आयात किया जाता है जिसे डीजीसीआई एंड एस द्वारा जारी सूचना में दर्शाया नहीं गया है । निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआई एंड एस, कांडला और जेएनपीटी पत्तन द्वारा सूचित आयातों के आधार पर याचिका में दी गई सूचना के आधार पर किया गया है । समुद्री भाड़े, बीमा, सीमाशुल्क और हैंडलिंग, अंतर्देशीय व्यय, कमीशन अर्थात कारखाना द्वार स्तर पर व्ययों हेतु यथा निर्धारित निर्यात कीमत से उचित समायोजन किए गए हैं । प्राधिकारी द्वारा नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित समझी गई सीमा तक याचिका में उपलब्ध सूचना का उपयोग किया गया हैं ।

20. पाटन मार्जिनः

प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की संगत पद्धति का पालन किया

है । उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाटन मार्जिनों (%) का निर्धारण किया है:-

देश	पाटन मार्जिन (%)
जापान	49.75
यूएसए	78.33

छ. घरेलू उद्योग को क्षति
घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे

21. क्षति का मूल्यांकन - पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति

घरेलू उद्योग का यह कथन है कि निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) और नियम 23 के अनुसार शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।

22. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव

पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के पश्चात घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार आया है । तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वर्तमान एवं नए स्रोतों से लगातार पाटन के कारण कार्य-निष्पादन में इष्टतम स्तर तक सुधार नहीं किया जा सका । घरेलू उद्योग को ईयू से पाटन के कारण क्षति का सामना करना पड़ा । घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त राहत सहायता का पूरा लाभ उठा सकने में समर्थ नहीं हुआ है । वास्तव में, घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है ।

23. मांग का मूल्यांकन

उत्पाद की मांग में प्रस्तावित क्षति अवधि की तुलना में 11.58% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है और भारत में उत्पाद की मांग में कमी नहीं हुई है । मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप पाटित आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । जब पाटनरोधी शुल्क जारी रहने के बावजूद भारतीय बाजार में पाटित आयातों की अत्यधिक मौजूदगी है, तो भारतीय निवेदन करते हैं कि वर्तमान शुल्क वापस ले लिए जाने की स्थिति में आयातों में अत्यधिक वृद्धि की संभावना है ।

24. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि
देश	मात्रा	मी. टन	मात्रा	मी. टन
यूएसए	2001	3245	1052	1052
जापान	0	0	22	22
अन्य	8807	8426	12707	8155
कुल	10808	11670	13781	9229

यह स्पष्ट है कि

(क) पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के पश्चात आयातों में काफी गिरावट आई है । तथापि प्रस्तावित जांच अवधि में यह पर्याप्त बनी रही है;

(ख) पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के पश्चात जापान से आयात नगण्य स्तर पर पहुँच गए थे ।

यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिए जाते है, तो आयातों में आगे और वृद्धि होगी ।

25. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमावली का अनुबंध-II (ii) संगत है ।

घरेलू बाजार में घरेलू उत्पाद की कीमत पर आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों ने भारत को उनके निर्यातों के संबंध में कीमत को लगातार निम्नस्तर पर रखा है । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण, करों और शुल्कों, रिबेटों, छूटों और कमीशनों को छोड़कर बिक्री कीमत पर विचार करके किया गया है । घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री मात्रा को परिकलन में शामिल किया गया है । आयातों की पहुँच कीमत का निर्धारण 1% उतराई प्रभार और लागू आधारभूत सीमाशुल्क सहित भारित औसत सीआईएफ कीमत पर विचार करके किया गया है । यह देखा जा सकता है कि जापान और यूएसए से आधारभूत सीमाशुल्क को शामिल करने के पश्चात पहुँच कीमत, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से काफी कम थीं । समीक्षाधीन अवधि के दौरान कीमत कटौती काफी सकारात्मक रही है और शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना पर विचार करते हुए इसकी जांच की जाने की आवश्यकता है ।

26. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदण्ड

नियम के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में, ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के संबंध में इन आयातों के तदनन्तर प्रभाव की वस्तुगत जांच शामिल होगी । घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को शुल्क के लगाए जाने से लाभ हुआ है और इसके कार्य निष्पादन में विभिन्न मानदण्डों के अनुसार सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता की स्थिति, वित्तीय घाटों, प्रतिकूल नकद प्रवाह और निवेश पर नकारात्मक आय की स्थिति रही है और इसका कारण संबद्ध देशों से लगातार पाटन और ऐसे पाटित आयातों की मौजूदगी में उद्योग के समक्ष कच्ची सामग्री की लागतों से हुई अत्यधिक वृद्धि को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में आ रही कठिनाईयों के कारण है । तथापि, जैसा कि क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभवना शीर्ष के तहत विचार-विमर्श किया गया है, यदि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति अत्यधिक बढ़ जाने की संभावना है । भारतीय उत्पादकों ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों, तथा अन्य देशों पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने से घरेलू उद्योग को अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु सहायता प्राप्त हुई है । तथापि, लगातार पाटन के कारण घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में

इष्टतम स्तर तक सुधार नहीं आ पाया है । इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की पुनरावृत्ति होगी और वह अत्यधिक बढ़ जाएगी ।

(क) **उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट**

यह स्पष्ट है कि वर्तमान जाँच अवधि तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई थी ।

(ख) **लाभ**

यह स्पष्ट है कि वर्तमान जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति में पर्याप्त सुधार प्रदर्शित हुए थे । यद्यपि वतमान जाँच अवधि में घाटे में कमी आई थी, तथापि वर्तमान उद्योग को घाटा होना जारी रहा । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लाभ में एक बार फिर गिरावट आएगी ।

(ग) **बाजार हिस्सा**

भारतीय मांग में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद कमी आई थी, तथापि वर्तमान जांच अवधि में यह पर्याप्त था । यह भी देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा जिसमें मूल जांच में संबद्ध देशों से आयातों के कारण गिरावट आ रही थी, में वर्तमान जांच की जांच अवधि तक वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होने लगी थी इससे वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों का सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित होता है । ऐसे मामले में, यदि पाटित कीमतों पर आयातों की अनुमति दी जाती है तो भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आएगी । भारतीय उद्योग, शुल्क के आरोपण के कारण अपनी बिक्री और बाजार हिस्से को कायम रखने और उनमें सुधार करने में सक्षम हो सका है ।

(घ) **रोजगार एवं वेतन**

रोजगार के स्तर में गिरावट के परिणामस्वरूप एचओसीएल के संबंध में घरेलू उद्योग के वेतन में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । घरेलू उद्योग प्रति इकाई उत्पादन पर वेतन में कमी करने में सक्षम रहा था ।

(ड.) **उत्पादकता**

जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में सुधारों और रोजगार के स्तर में कमी के साथ-साथ प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सुधार हुआ है ।

च) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयात का प्रभाव कीमतों को अन्यथा अत्यधिक मात्रा तक कम करना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा हो गई होती । यह देखा जाएगा कि

क) जापान और अमरीका से पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से अत्यधिक कम रही हैं । अतः पाटनरोधी शुल्क को वापिस लेने के परिणामस्वरूप अत्यधिक कीमत कटौती होगी;

ख) पाटन से संबंधित सभी स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात जांच अवधि में कीमतों में सुधार हुआ है ।

एनिलाइन उद्योग अत्यधिक कीमत संवेदनशील उद्योग है । आयात कीमतों में किसी परिवर्तन से घरेलू बाजार की कीमतें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं । घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत के विशाल अन्तर के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि कीमत में किसी अन्तर के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत दबाव होगा ।

छ) निवेशों पर आय और नकदी प्रवाह

यह स्पष्ट है कि शुल्क लगाने के पश्चात घरेलू उद्योग की पीबीआईटी में सुधार आया । तथापि, घरेलू उद्योग की पीबीआईटी अभी तक सकारात्मक स्तरों तक नहीं पहुंच पाई है । घरेलू उद्योग की नकारात्मक पीबीआईटी जारी रही और इसके फलस्वरूप नकदी प्रवाह और निवेशों पर आय होती रही ।

ज) मालसूचियाँ

कंपनी के समर्पित प्रयासों द्वारा और मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के सकारात्मक प्रभाव के रूप में मालसूचियों की मात्रा इन वर्षों के दौरान नगण्य रहीं ।

झ) वृद्धि

घरेलू उद्योग की वृद्धि को निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:-

वृद्धि	इकाई	2002-03	2003-04	जांच अवधि
कारोबार में वृद्धि	%	16.38	-17.02	33.46
बिक्री मात्रा में वृद्धि	%	5.59	-12.71	11.75
कैप्टिव के साथ मांग में वृद्धि	%	11.39	0.04	0.13
आयातों में वृद्धि	%	7.98	18.08	-33.03
उत्पादन में वृद्धि	%	10.77	-9.44	12.62
क्षमता उपयोग में वृद्धि	%	10.77	-9.44	12.62
बिक्री कीमत में वृद्धि	%	10.22	-4.94	19.43
उत्पादन लागत में वृद्धि	%	7.49	1.18	-0.95

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि में अनेक मापदंडों में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । विभिन्न मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रचलित पाटनरोधी शुल्कों का परिणाम है क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा प्रात करने अथवा बनाये रखने में सहायता मिली है । यद्यपि, कुछेक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में सुधार आया है, तथापि वित्तीय घाटे, नकदी प्रवाह और निवेशों पर आय पर विचार करते हुए इस स्थिति को संतोषजनक नहीं माना जा सकता है ।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर एक बार पुनः यह दोहराया जाता है कि जापान और अमरीका के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और इसे जारी रखने के लिए जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है । इसलिए इन विभिन्न स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है । तथापि, घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन इष्टतम से कम होना जारी है और उद्योग स्पष्ट रूप से नाजुक स्थिति में है । ऐसी स्थिति में इस समय जब पाटन जारी है और घरेलू उद्योग पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है, पाटनरोधी शुल्क पापिस लेने से क्षति के पुनः होने की संभावना का संकेत मिलता है । किसी भी स्थिति में इस बात को मानते हुए हालांकि इसे स्वीकार न करते हुए कि समीक्षा जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही थी, यह तथ्य

कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए आयात जारी नहीं रखे जा रहे हैं मौजूदा पाटनरोधी उपायों को हटाने के लिए स्वयं में एक कारण नहीं है ।

घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर विचार करें जिसके परिणामस्वरूप क्षति के विभिन्न मापदंडों में सकारात्मक सुधार हुआ होता । घरेलू उद्योग की किसी मौजूदा क्षति के अभाव में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करके घरेलू उद्योग की क्षति जो लागू पाटनरोधी शुल्क के अभाव अथवा समाप्ति पर सन्निकट है, की जांच करना अपेक्षित है ।

27. **निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति के जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना**

एक निर्णायक समीक्षा शुरू करने के उद्देश्य होते हैं -

- यह जांच करना कि क्या पाटन को रोकने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है, अथवा
- दोनों

निर्णायक समीक्षा जांच के अंतर्गत घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण इस जांच पर आधारित होना चाहिए कि क्या पाटनरोधी उपाय की समाप्ति के परिणामस्वरूप क्षति जारी रहेगी अथवा इसकी पुनरावृत्ति होगी । लागू शुल्क की समाप्ति के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटन और क्षति दोनों के जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना के संबंध में जांच की जानी अपेक्षित है । संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव की संभावना का मूल्यांकन करने में किसी निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले "सभी संगत आर्थिक कारकों " की जांच करना अपेक्षित है परन्तु यह जांच किसी पाटनरोधी जांच में जांच किए गए इन मापदंडों तक ही सीमित नहीं है । क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी परिमाणित किए गए चार कारकों की जांच करने पर विचार कर सकते हैं;

1. निर्यातक देश में उत्पादन क्षमता अथवा मौजूदा अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता में कोई संभावित वृद्धि ।

2. संबद्ध वस्तु की मौजूदा माल सूचियां, अथवा माल सूचियों में संभावित वृद्धि;
3. संबद्ध वस्तु के भारत से इतर देशों में आयात करने पर अवरोधों की मौजूदी;
4. यदि दूसरे देश में उत्पादन सुविधाओं जिनका संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को वर्तमान में अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उत्पाद बदलने की संभावना ।

निर्णायक समीक्षा से संबंधित प्रावधान के पीछे प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी । अतः निर्णायक समीक्षा जांच के अंतर्गत क्षति विश्लेषण के लिए क) घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना, ख) घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना और ग) और अधिक क्षतिकारी पाटन और क्षति की संभावना का संकेत देने वाले बाजार के अन्य साक्ष्य की जांच की जानी अपेक्षित है । ऊपर उल्लिखित मानदंडों की निम्नलिखित दो स्थितियों द्वारा व्याख्या की जा सकती है:-

क. क्षति के जारी रहने की संभावना:

वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को यथासंभव कम किया गया था और उद्योग ने आदेश की अवधि के दौरान कुछ मापदंडों में सकारात्मक कार्य-निष्पादन प्रदर्शित किया है । तथापि, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा होना जारी रहा था और इसे अभी उचित लाभ अर्जित करना था । यह उम्मीद है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के नियंत्रण के अंतर्गत घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आयेगा । अतः घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन संवेदनशील रहा है और घरेलू उद्योग को पूर्ण रूप से सामान्य होने से रोका गया है । यदि यह मान भी लिया जाता है कि घरेलू उद्योग को कोई निरंतर क्षति नहीं हो रही है, तो लागू शुल्क को वापिस लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

धारा 9क(5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को वापिस लेने की स्थिति में पाटन होने और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । घरेलू उद्योग का वर्तमान कार्य-निष्पादन केवल इसी सीमा तक प्रासंगिक है कि इससे क्षति जारी रहने की मौजूदगी अथवा अन्यथा प्रदर्शित होता है । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह माने कि घरेलू उद्योग को

निरन्तर क्षति नहीं हुई है तो यह नोट किया जाना चाहिए कि वर्तमान कार्य-निष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण है और ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की जानी अपेक्षित है ।

ख. क्षति की पुनरावृत्ति की संभावनाः

ऐसी किसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग को कोई निरन्तर क्षति नहीं हुई हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अनिवार्य होता है । वर्तमान मामले में यद्यपि लागू शुल्क के कारण घरेलू उद्योग सकारात्मक कार्य निष्पादन प्रदर्शित कर रहा है तथापि घरेलू उद्योग की स्थिति संवेदनशील बनी रही और घरेलू उद्योग को अपने कार्य-निष्पादन में पूर्ण समुत्थान करने से रोका गया ।

पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक होगाः-

1. क्या पाटन और क्षति जारी रही;
2. क्या क्षति की समाप्ति आंशिक रूप से अथवा अनन्य रूप से मौजूदा उपायों के कारण है;
3. क्या निर्यातकों की परिस्थितियां अथवा बाजार स्थितियां ऐसी हैं कि इनसे और अधिक क्षतिकारी पाटन की संभावना का संकेत मिलता है ।

क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा आयात कीमतों का स्तर, गैर संबद्ध देशों से आयातों का स्तर एवं इनकी कीमत, कीमत जिस पर विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पाद का अन्य बाजारों में निर्यात किया गयाहै, विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध अधिशेष अप्रयुक्त क्षमताओं के मद्देनजर यह अपरिहार्य है कि पाटनरोधी शुल्क को वापिस लेने से आयातों में अत्यधिक वृद्धि की संभावना होगी । ऐसी किसी स्थिति में जहां लागू पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद वस्तुओं का भारत को निर्यात किया गया हो, यदि पाटनरोधी शुल्कों को हटायाजाता है तो ज्यादा से ज्यादा आयात की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है ।

28. कीमत प्रभाव

घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली और अमरीका एवं जापान से आयातों की पहुंच कीमत के बीच तुलना की गई थी जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यदि वर्तमान शुल्कों को वापिस लिया जाता है तो अत्यधिक सकारात्मक कीमत कटौती इस स्थिति की एक सूचक है । अतः पाटनरोधी शुल्क वापिस लेने की स्थिति में आयातों के परिणामस्वरूप अत्यधिक कीमत कटौती होगी । स्पष्ट तौर पर पाटनरोधी शुल्क वापिस लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव बिल्कुल प्रतिकूल होगा ।

29. क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का संकेत देने वाले अन्य कारके घरेलू उद्योग का निवेदन है कि निम्नलिखित कारकों से इस बात का संकेत मिलता है कि यदि वर्तमान लागू शुल्क को वापिस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ।

क) तीसरे देश को पाटन

घरेलू उद्योग का निवेदन है कि संबद्ध देशों के उत्पादक और निर्यातक एनिलाइन का विश्व के अन्य बाजारों में भी पाटन कर रहे हैं । तीसरे विश्व बाजार में ऐसे पाटन के कारणों को इन देशों में उत्पादकों के पास विद्यमान उत्पाद में बढ़ती हुई अधिशेष क्षमताओं के संदर्भ में देखा जाना है ।

जब इन देशों में उत्पादक इतनी अधिक मात्राओं का पाटन कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं तो यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं बनता है कि भारत को उनकी निर्यात कीमत उस कीमत से वास्तविक रूप से अधिक होने की संभावना है जिस कीमत पर जांच अवधि में तीसरे देशों क वस्तुओं का निर्यात किया गया है ।

ख) घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता

घरेलू उद्योग को कुछ समय से पाटित आयातों यद्यपि भिन्न-भिन्न स्रोतों से इससे इस बात की साफतौर पर पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को पाटित

आयातों से क्षति पहुंच सकती है । इस बात की काफी संभावना है कि शुल्क हटाये जाने से भारतीय बाजार में इस सामग्री की बाढ़ आ जाएगी ।

ग) निर्यातकों की पर्याप्त उत्पादन क्षमता

संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास पर्याप्त अधिशेष उत्पादन क्षमता है, जबकि उनके देशों में उत्पाद की मांग काफी कम है । एनिलाइन की काफी मात्रा का इन देशों से निर्यात किया जा रहा है । इस सामग्री का निर्यात करने और इसे घरेलू बाजार में बेचने के बाद भी इन देशों में उत्पादकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं विद्यमान हैं । अतः वर्तमान शुल्क को हटाये जाने से भारतीय बाजार में अत्यधिक आयात होंगे ।

घ) आयातों का बाजार में बड़ा हिस्सा

इन देशों से भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक है । इसलिए यदि लागू शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा बढ़ जाएगा । ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि इन देशों के उत्पादक भारतीय बाजार में अत्यधिक मात्रा की बिक्री नहीं करेंगे और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो अपना बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं करेंगे ।

ड.) पाटन मार्जिनों का स्तर

वर्तमान जांच अवधि में किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक है । पूर्ववर्ती समाप्त जांच में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने काफी अधिक पाटन मार्जिन ज्ञात किया था । वस्तुतः मूल जांच तथा वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है ।

च) विदेशों-उत्पादकों का निर्यातोन्मुखीकरण

संबद्ध देशों में उत्पादकों ने घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताओं का निर्माण किया है । स्पष्ट रूप से इन क्षमताओं का सृजन निर्यात बाजारों को देखते

हुए किया गया है । भारतीय बाजार अपने आकार के अनुसार बड़े बाजारों में से एक रहा है इसलिए शुल्क हटाने से आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी ।

छ) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षण

वह कीमत जिस पर भारतीय बाजार में सामग्री की बिक्री की जा रही है, उस कीमत से अधिक है जिस पर कुछ अन्य देशों को सामग्री का निर्यात किया जा रहा है । भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतें कुछेक अन्य बाजारों से अधिक हैं जहाँ विदेशी उत्पादक सामग्री की बिक्री कर रहे हैं । अतः शुल्क समाप्त करने की स्थिति में भारतीय बाजार निर्यातकों की स्वाभाविक पसंद होगा ।

पूर्वोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि

क) घरेलू उद्योग को जापान और अमरीका से जारी पाटित आयातों से लगातार क्षति उठानी पड़ रही है ।

ख) पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी ।

30. समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध प्रासंगिक नहीं हैं

भारतीय उत्पादकों का यह अनुरोध है कि समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध प्रासंगिक नहीं हैं । समीक्षा याचिका का मुख्य उद्देश्य है:-

क) यह जांच करना कि क्या पाटन को रोकने के लिए शुल्क को लागू करना करना आवश्यक है; या

ख) यह जांच करना कि क्या यदि शुल्क को हटाया या उसमें परिवर्तन किया जाता है तो क्षति जारी रहेगी या इसकी पुनरावृत्ति होगी; या

ग) ये दोनों होंगे ।

इस प्रकार समीक्षा जंच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या लागू शुल्क को हटाना पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना पर विचार करते हुए न्यायसंगत है ।

कारणात्मक संबंध मूल जांच में पहले ही निर्धारित किया गया है । वर्तमान समीक्षा जांच में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करनी होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

उपर्युक्त के बावजूद, भारतीय उत्पादकों का यह अनुरोध है कि संबद्ध वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग की स्थिति और संबद्ध देशों से पाटन के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं, जैसाकि निम्नलिखित अनुरोधों से देखा जा सकता है ।

अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है:- भारतीय उत्पादकों का अनुरोध है कि अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

क) **उन आयातों की मात्रा एवं मूल्य जिन्हें पाटित कीमतों पर नहीं बेचा गया है:-** भारतीय उत्पादकों ने पहले संबद्ध देशों समेत सभी देशों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य संबंधी सूचना उपलब्ध कराई थी । यह देखा जाता है कि (i) अन्य देशों से आयातों की मात्रा या तो निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है; य (ii) इन देशों की आयात कीमतें संबद्ध देशों से आयात कीमत से काफी अधिक है; या (iii) इन देशों से आयातों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

ख) **मांग में संकुचन:** संलग्न क्षति वितरण में संपूर्ण क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग के संबंध में पर्याप्त सूचना दी गई है । यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई नकारात्मक वृद्धि नहीं हुई है । मांग में संकुचन वह संभव कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ग) **खपत की प्रवृत्तियों में परिवर्तन:** विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है ।

घ) **व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा;** ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

ड.) **प्रौद्योगिकी में विकासः** उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारण नहीं है ।

च) **उत्पादकताः** घरेलू उद्योग की उत्पादकता में विकृति नहीं आई है । इस प्रकार नहीं का जा सकता है कि घरेलू उद्योग को उत्पादकता में गिरावट के कारण क्षति हुई है ।

भारतीय उत्पादकों का अनुरोध है कि एक बार यह दर्शाने के बाद किः

(क) अनुबंध II के पैराग्राफ (ii) के अंतर्गत पाटित आयातों से मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभाव पड़ा है,

(ख) पाटित आयातों द्वारा हुई क्षति का प्रभाव अनुबंध II के पैराग्राफ (iv) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदर्शित होता है ।

अतः यह निष्कर्ष निकालने का एकमात्र आधार कि क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं हुई है, गैर-उत्तरदायी विश्लेषण अर्थात यह कि क्षति अन्य कारकों के कारण हुई है । जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दर्शाया गया है कि, सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह निर्धारित नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति इन अन्य कारणों से हुई है । ऐसे मामले में, एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

कारणात्मक संबंध निर्धारित करने वाले कारकः यद्यपि उपर्युक्त मानदंड यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारणों से नहीं हो सकती है, तथापि भारतीय उत्पादक अनुरोध करते हैं कि निम्नलिखित मानदंडों से यह सिद्ध होता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति होने की संभावना है ।

(क) पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों से अत्यधिक कीमत कटौती होगी । ऐसे मामले में, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की वृद्धि बिल्कुल स्पष्ट है ।

(ख) पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने की स्थिति में अत्यधिक कीमत कटौती की मौजूदगी और उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता से उपभोक्ता द्वारा आयातों की ओर जाने में वृद्धि होगी ।

(ग) यदि उपभोक्ता उत्तरोत्तर आयातों पर निर्भर करते हैं तो घरेलू उद्योग के पास (i) बिक्री मात्रा गंवाने; या (ii) कीमतें कम करने के विकल्प रह जाएंगे । दोनों में से किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

(घ) यदि घरेलू उद्योग कीमत कम करने के लिए विवश होता है तो यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदतता, नकद प्रवाह और निवेश पर आय पर प्रतिकूल और अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा ।

(ड.) यदि घरेलू उद्योग बिक्री मात्रा गंवाना पसंद करता है तो इससे और भी अधिक क्षति होगी । बिक्री मात्रा और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन एवं क्षमता उपयोग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(च) विगत में उचित कीमत वृद्धि के घरेलू उद्योग के सभी प्रयास पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण असफल रहे थे । अतः, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपर्याप्त लाभ हुआ ।

(छ) लगातार वित्तीय घाटों का लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अतः, पाटित आयातों की लगातार उपस्थिति के कारण लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह प्रतिकूल बने रहे हैं (हालांकि इनमें कुछ सुधार प्रदर्शित हुआ है) । पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण का परिणाम निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में होगा।

(ज) ऐसी स्थिति में जबकि संबद्ध देशों के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर भी घरेलू उद्योग का निष्पादन

कमजोर बना रहा, यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण से घरेलू उद्योग के निष्पादन में और अधिक गिरावट आएगी ।

अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातें के पूर्व प्रभाव से संभलने की प्रक्रिया में है और उत्पाद के लगातार पाटन के कारण इस क्षति से पूरी तरह संभल नहीं पाया है । इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को एक बार फिर ऐसे पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना करना पड़ेगा । अतः, ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ।

31. उपरोक्त प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय उत्पादक दोहराते हैं किः

1. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों अर्थात् अमरीका, जापान से पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात जारी है ।

2. यह मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि शुल्कों के प्रतिसंहरण की स्थिति में कीमतों में गिरावट के साथ् ही संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होगी ।

3. यद्यपि कई मापदण्डों (तत्वतः मात्रात्मक मापदण्ड) के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है, तथापि कई मापदण्डों (तत्वतः कीमत संबंधी मापदण्ड) के संबंध में निष्पादन प्रतिकूल बना रहा । समग्र रूप से घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है ।

4. यदि यह मान लिया जाए कि समीक्षाअवधि के दौरान घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति नहीं हुई है, फिर भी एक बार पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने के बाद घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति प्रभावित होगी । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की सकारात्मक स्थिति पुनः क्षति होने की संभावना की जांच किए बिना लागू शुल्क को समाप्त होने देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है । इसे अमरीका-अर्जेन्टीना से तेल देश नलाकार वस्तु संबंधी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा भी माना गया है ।

5. किसी भी स्थिति में, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाए तो घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होगी ।

6. उपर्युक्त प्रस्तुतीकरणों को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्कों को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की आवश्यकता है ताकि पाटन के कारण होने वाली क्षति से घरेलू उद्योग को बचाया जा सके ।

7. संशोधित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के समतुल्य बनाने के लिए पाटनरोधी शुल्कों की राशि में उचित वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ।

32. एनओसीआईएल द्वारा दी गई अभ्युक्तियाँ-

- एनिलिन एक औद्योगिक कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग रंजकों, भेषजों, रबड़ रसायनों, फोटोग्राफिक रसायनों आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है, इन सामग्रियों का उपयोग व्यापक खपत के उत्पादों के विनिर्माण के लिए होता है।
- एनिलिन विनिर्माता घरेलू उद्योग पाटनरोधी याचिका दायर करके बाजार में एकाधिकार की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत में प्रयोक्ता उद्योग को हानि होगी ।
- पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से निम्न कोटि के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है ।
- कथित "पाटित कीमतों" में वर्ष 1999 की दूसरी तिमाही से स्वयमेव सुधार हुआ है औश्र वे पाटनरोधी याचिकाओं में उल्लिखित स्तर से लगभग 80% बढ़कर 740 अमरीकी डॉलर - 780 अमरीकी डालर/टन तक हो गई है ।
- वर्ष 2003 से कीमत वृद्धि में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है और इस समय कीमतें 1500 अम.डा./टन या उससे अधिक के स्तर पर हैं ।
- घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उन्हीं गैर-वैकल्पिक क्षमताओं के साथ प्रचालन जारी है जबकि पूरे विश्व में न्यूनतम आर्थिक आकार 100000 टीपीए या उससे अधिक है और विरले ही 60000 टीपीए से कम है ।
- बेन्जीन, जोकि एनिलिन की मूलभूत कच्ची सामग्री है, पर सीमाशुल्क को एनिलिन पर शुल्क से काफी कम रखना जारी है जिससे एनिलिन उत्पादकों को प्राकृतिक और अतिरिक्त टैरिफ सुरक्षा मिलती है (बेन्जीन पर 5%; एनिलिन पर 15%) ।
- एनिलिन के सभी वैश्विक स्रोतों अर्थात् जापान, अमरीका और ईयू पर पाटनरोधी उपकर के परिणामस्वरूप मुक्त व्यापार की अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए

एनिलिन के घरेलू उत्पादकों ने अपनी बिक्री कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप नियमित रूप से और प्रायः अत्यधिक वृद्धि की है ।

- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के दृढ़ होने और किसी संदर्भ आयात कीमत के बिना मध्यम कीमतों पर पाटनरोधी शुल्कों के 25%-45% के काफी उच्च स्तर पर निर्धारित होने के परिणामस्वरूप अवरुद्ध आयातों की अनन्य स्थिति के कारण एनिलिन विनिर्माताओं को बढ़ते हुए लाभों का फायदा मिला है ।
- सख्त मांग दृढ़ीकारक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और मुक्त आयातों को अवरुद्ध करने वाले अत्यधिक शुल्क की सुरक्षा का फायदा उठाकर घरेलू एनिलिन उत्पादकों ने प्रयोक्ता उद्योग की कीमत् पर अत्यधिक लाभ प्राप्त किया है ।
- केवल दो उत्पादकों के उद्योग में पाटनरोधी करों के जारी रहने से एकाधिकार घटक के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माताओं ने प्रयोक्ताओं की कीमत पर लाभ उठाया है ।

33. भारतीय रंजक सामग्री विनिर्माता एसोसिएशन द्वारा दी गई अभ्युक्तियाँ

जापान और अमरीका से एनिलिन के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क अनुचित, गैर तर्कसंगत और अनावश्यक है । ये शुल्क छह वर्षों से लागू हैं, यदि जिस समय उन्हें लागू किया गया था, उस समय उन्हें उचित मान भी लिया जाए (वे उचित नहीं हो) तो भी उनका प्रयोजन समाप्त हो चुका है और उन्हें निरस्त किए जाने की आवश्यकता है । आज की अंतर्राष्ट्रीय एनिलिन कीमत अर्थात् 1200 अमरीकी डॉलर/टन सही नहीं है और स्पॉट कीमतों को संविदा कीमतों से काफी कम या 50% तक कम होना चाहिए ।

प्रमुख उत्पादकता लाभों और लागत प्रबंधन से प्राप्त लाभों को एनसीपीएल ने आगे हस्तांतरित नहीं किया है । एनसीपीएल के लाभ केवल एनिलिन के कारण नहीं हैं क्योंकि कंपनी एक बहु-उत्पाद कंपनी है । कंपनी के केवल दो उत्पाद अर्थात् एनिलिन और टीडीआई हैं और दोनों ही लाभप्रदायक उत्पाद हैं ।

एचओसी का नया उत्प्रेरक पांच वर्ष पुराना विकास है और उपभोक्ता उद्योग को कंपनी की उच्च लागत सामग्री की स्थिति के लिए दण्ड नहीं भोगना चाहिए ।

जहाँ तक जापान में उत्पादकों की अधिक क्षमता का संबंध है, हमारी जानकारी यह है कि जापान के पास अधिक क्षमता नहीं है और उसने किसी भी स्थिति में पिछले छह वर्षों से भारत को एनिलिन का निर्यात नहीं किया है ।

जहाँ तक एनिलिन की कीमत में वृद्धि का संबंध है, कीमत वृद्धि की तुलना प्रतिशत के रूप में करना भ्रामक है क्योंकि जो संगत है वो बेन्जीन की लागतों और एनिलिन की कीमतों का विभेदक अथवा उनके बीच में है । इनका स्तर अच्छा रहा है और वे उपभोक्ता की कीमत पर उत्पादकों के पक्ष में रही हैं ।

एचओसी के मामले में, यह अत्यधिक और अनुचित निवेश के उलट-पुलट हो जाने से हुई क्षति का मामला है न कि एनिलिन का परिणाम है । तकनीकी बाधाओं और एनसीपीएल को बाजार हिस्सा हस्तांतरित कर देने के कारण एनिलिन का उनका उत्पादन लगतार गिरकर 20000 टन से 15000 टन हो गया है ।

34. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा क्षति का विश्लेषण

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न क्षति मापदण्डों के संदर्भ में क्षति संबंधी सूचना का विश्लेषण किया है ।

35. आयातों की मात्रा

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू 03-सित.04 (जांच अवधि)
जापान	मी.टन	0	0	22	22
अमरीका	मी.टन	2001	3245	1052	1052
संबद्ध देश	मी.टन	2001	3245	1074	1074
अन्य देश	मी.टन	8807	8426	12707	8155
सभी स्रोत	मी.टन	10808	11670	13781	9229

प्राधिकारी ने पाया कि जापान से आयात वस्तुतः बंद हो गए हैं और जांच अवधि के दौरान वे बहुत कम थे । तथापि, अमरीका से आयात जारी रहे हैं ।

36. मांग में बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04 (जांच अवधि)
- कुल आयात	मी.टन	10808	11670	13781	9229
- घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ (आबद्ध सहित)	मी.टन	40650	46102	44016	48650
- मांग	मी.टन	51458	57772	57796	57879
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	112	112
- मांग में बाजार हिस्सा					
जापान	%	0.00	0.00	0.04	0.04
अमरीका	%	3.89	5.62	1.82	1.82
संबद्ध देश	%	3.89	5.62	1.86	1.86
अन्य देश	%	17.12	14.58	21.99	14.09
सभी स्रोतों से आयात	%	21.00	20.20	23.84	15.95
घरेलू उद्योग	%	79.00	79.80	76.16	84.05

जांच अवधि के दौरान मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 79% से बढ़कर 84% हो गया है। मांग में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा घटकर 1.86% हो गया है ।

37. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04 (जांच अवधि)
क्षमता	मी.टन	60100	60100	60100	60100
उत्पादन	मी.टन	40668	46282	44101	48192
क्षमता उपयोग	%	67.67	77.01	73.38	80.19
घरेलू बिक्री	मी.टन	40633	45497	42893	46928

आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन 40668 मी.टन से बढ़कर 48192 मी.टन हो गया है । क्षमता उपयोग 67.67% से बढ़कर 80.19% हो गया है । बिक्रियां भी 40633 मी.टन से बढ़कर 46928 मी.टन हो गई हैं ।

38. लाभप्रदता

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04(जांच अवधि)
उत्पादन लागत					
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	109	122
बिक्री कीमत					
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	102	123
लाभ/हानि					
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-65	-174	-108

जांच अवधि के दौरान श्संबद्ध वस्तु की बिक्री में घरेलू उत्पादकों को घाटा हुआ ।

39. निवेश पर आय

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04(जांच अवधि)
आरओसीई	%	-9.24	-6.32	-30.87	-20.22

सग्द्ध वस्तु के संबंध में निवेश पर आय ऋणात्मक थी ।

40. नकद लाभ

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04(जांच अवधि)
नकद लाभ	सूचीबद्ध	-100	-56	-231	-137

घरेलू उद्योग का नकद लाभ ऋणात्मक बना रहा ।

41. सामान सूची

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04 (जांच अवधि)
अंतिम स्टॉक	मी.टन	66	2530	1509	571
उत्पादन के % के रूप में सामान सूची	%	0.16	5.46	3.42	1.18

वर्ष 2001-02 की तुलना में तैयार वस्तुओं का अंतिम स्टॉक अधिक था । तथापि, वर्ष 2002-03 के 5.46% की तुलना में यह उत्पादन का 1.18% हो गया है ।

42. कीमत कटौती एवं कीमत ह्रास

पाटनरोधी शुल्क के बिना अमरीका से आयातों से कीमत कटौती 20.25% के बीच थी और पाटनरोधी शुल्क के साथ यह 1-5% के बीच थी ।

पाटनरोधी शुल्क के बिना जापान से आयातों से कीमत कटौती 1-5% के बीच थी और पाटनरोधी शुल्क के साथ यह ऋणात्मक थी ।

पाटनरोधी शुल्क के साथ अमरीका से आयातों से कीमत ह्रास 10-15% के बीच था ।

पाटनरोधी शुल्क के साथ जापान से आयातों से कीमत ह्रास 15-10% के बीच था ।

43. रोजगार

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04 (जांच अवधि)
रोजगार	सूचीबद्ध	100	98	96	98

उद्योग के रोजगार स्तर में कोई वास्तविक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं हुआ ।

44. वेतन

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04 (जांच अवधि)
भत्ते एवं वेतन	सूचीबद्ध	100	80.53	125.73	132.13

क्षति अवधि के दौरान वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 में काफी वृद्धि हुई ।

45. वृद्धि

विवरण	इकाई	2001-02	2002-03	2003-04	अक्तू.03-सित.04 (जांच अवधि)
कारोबार में वृद्धि	%	-	22.09	-11.74	31.98
बिक्री मात्रा में वृद्धि	%	-	11.97	-5.72	9.41
आबद्ध सहित मांग में वृद्धि	%	-	12.27	0.04	0.14
उत्पादन में वृद्धि	%	-	13.80	-4.71	9.28
बिक्री कीमत में वृद्धि	%	-	9.04	-6.39	20.64
उत्पादन लागत में वृद्धि	%	-	3.26	5.21	11.10

घरेलू उद्योग ने कारोबार एवं बिक्री जैसे मापदण्डों के रूप में वृद्धि प्रदर्शित की ।

46. क्षति का समग्र आकलनः

प्राधिकारी ने उपरोक्तानुसार घरेलू उद्योग के क्षति मापदण्डों का विश्लेषण किया है और उन्होंने पाया है कि क्षति आकलन अवधि के दौरान आम तौर पर घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है । घरेलू उद्योग के उस्त्पादन में वृद्धि हुई, क्षमता उपयोग में सुधार हुआ, बिक्री बढ़ी, मांग में बाजार हिस्से में सुधार हुआ । समग्र रूप से घरेलू उद्योग ने सुधार दर्शाया । वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के बाद भी अमरीका से पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती स्पष्ट थी । हालांकि जापान के मामले में आयात बहुत कम थे फिर भी पाटनरोधी शुल्क को शामिल किए बिना कीमत कटौती स्पष्ट थी परन्तु पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने पर यह ऋणात्मक थी । तथापि, संबद्ध वस्तु की बिक्री में घरेलू उद्योग को घाटा होना जारी रहा ।

निवेश पर आय ऋणात्मक थी । घरेलू उद्योग को नकद घाटा होना जारी रहा । घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति को संबद्ध देशों और ईयू से आयतों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए देखा जाना है । उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा जैसे मापदण्डों में घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के कारण घरेलू उद्योग बेहतर निष्पादन कर सका । पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से होने वाले आयातों की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सहारा मिला है ।

कारणात्मक संबंध की जांच के संबंध में प्राधिकारी का विचार है कि यह एक निर्णायक समीक्षा है जिसमें यह जांच की जानी चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना है । घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर अमरीका तथा जापान के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव पड़ा है। ईयू से होने वाले आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है । अतः, संबद्ध देशों से वर्तमान पाटन के परिणामस्वरूप कारणात्मक संबंध की जांच संगत नहीं रही है । तथापि, एचओसीएल को हुई क्षति आत्मकृत है और उनके उत्पादन में लगातार गिरावट आई है जैसे कुछ तर्कों के संबंध में प्राधिकारी ने पाया कि वर्ष 2001-02 के दौरान 14436 मी.टन की तुलना में जांच अवधि के दौरान एचओसीएल का उत्पादन 16099 मी.टन था । एनिलिन की मांग में भी वृद्धि हो रही है और यह वर्ष 2001-02 के दौरान 15458 मी.टन की तुलना में जांच अवधि के दौरान 57879 मी.टन थी । अतः, मांग में कमी क्षति का कारण नहीं हो सकती है । जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है । उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए यह क्षति का वास्तविक कारक नहीं हो सकता है । ऐसी कोई व्यापार बाधक प्रथा प्रत्यक्ष नहीं थी जिसे क्षति का कारण माना जा सके ।

47. पाटन और क्षति के पुनः प्रारंभ होने की संभावना

घरेलू उद्योग ने जापान में उत्पादकों की निर्यात योग्य क्षमता की उपलब्धता के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । जहाँ तक जापान से आयातों का संबंध है, जांच अवधि के दौरान जारी आयात केवल 22 मी.टन था जो कि बाजार हिस्से का 0.04% बनता है । वर्ष 2001-02, 2002-03 और 203-04 के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग ने जापान के उत्पादकों की अत्यधिक क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो 108,000 मी.टन प्रति वर्ष की निर्यात योग्य क्षमता को दर्शाता है । मै0 मित्सुई केमिकल, जापान के उत्तर ने यह दर्शाया कि उन्होंने भारत को निर्यात नहीं किया था । तथापि, उन्होंने कुछ मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात किया थ्ज्ञा जो अत्यधिक नहीं है । यह भी पाया गया है कि जापान के घरेलू बाजार में बेची गई

संबद्ध वस्तु की कीमत की तुलना में अन्य देशों को किए गए अधिकतर निर्यात पाटित कीमतों पर थे । अतः, प्राधिकारी उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो जापान के निर्यातकों द्वारा पाटन पुनः प्रारंभ हो जाएगा ।

अमरीका से पाटन जारी रहा है । प्राधिकारी ने नोट किया कि क्षति अवधि के दौरान अमरीका से संबद्ध वस्तुओं का आयात जारी रहा । मांग में अमरीका से आयातों का बाजर हिस्सा 1.82% था । प्राधिकारी का विचार है कि शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो पाटन में वृद्धि होगी । घरेलू उद्योग की स्थिति इस समय समुत्थान की है और वह सुधार के चिह्न दर्शा रहा है । उसे अभी भी घाटा हो रहा है । शुल्क की समाप्ति से पाटन में वृद्धि होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पुनः प्रारंभ हो जाएगी ।

ज. निष्कर्ष

48. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्णायक समीक्षा जांच में-

(i) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात सामान्य से कम मूल्य पर हुआ है और उसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;
(ii) घरेलू उद्योग ने सुधार दर्शाया है, तथपि उसे लगातार क्षति होती रही;
(iii) यदि अमरीका औश्र जापान से एनिलीन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटन के जारी रहने एवं क्षति के पुनः होने की संभावना है ।

49. अतः, प्राधिकारी यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के खण्ड 9 क(5) के अनुसार अमरीका और जापान से एनिलिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं । पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन के समतुल्य अथवा उससे कम होगी, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी । आयातों की पहुंच कीमत की तुलना भी जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत के साथ की गई थी, तद्नुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के उपशीर्ष 2921.41 के अंतर्गत आने वाले, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एनिलिन पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए । पाटनरोधी शुल्क की राशि नीचे दी गई तालिका के कॉलम 9 में अमरीकी डॉलर/मी.टन में उल्लिखित राशि होगीः

क्र.स.	उप-शीर्ष	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2921.41	एनिलिन	सभी प्रकार	अमरीका	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	345	मी.टन	अम.ड
2.	2921.41	एनिलिन	सभी प्रकार	जापान को छोड़कर कोई अन्य देश	अमरीका	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	345	मी.टन	अम.डा.
3.	2921.41	एनिलिन	सभी प्रकार	जापान	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	143	मी.टन	अम.डा
4.	2921.41	एनिलिन	सभी प्रकार	अमरीका को छोड़कर कोई अन्य देश	जापान	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	143	मी.टन	अम.डा.

50. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकती है ।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2006
FINAL FINDINGS

Subject : Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Aniline from Japan and USA.

No. 15/2/2005-DGAD.— Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the Rules) vide Notification No. 33/1/99-DGAD dated 31.8.2000 issued its Final Findings recommending definitive anti dumping duty on imports of Aniline (hereinafter also referred to as the subject goods) from Japan and USA (hereinafter also referred to as the subject countries). Definitive anti dumping duty was imposed vide Customs Notification No. 128/2000-Customs dated 6th October, 2000.

2. And whereas, the producers representing the domestic industry viz. M/s Narmada Chematur Petrochemicals Limited (NCPL), Bharuch and M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), Mumbai filed application substantiating the need for sunset review of the antidumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from subject countries and requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on imports of Aniline originating in or exported from Japan and USA. The Designated Authority considered that the sunset review of the Anti-Dumping Duty recommended would be appropriate to review whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, under the provision of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended. The sunset review was initiated vide notification No. 15/2/2005-DGAD dated 6th April 2005. As per the Customs notification 128/2000 dated 6.10.2000 the anti dumping duty were to be in force for five years from the date of imposition of provisional duty i.e. from 10 April 2000. Having regard to the initiation of sunset review on 6.4.2005 and powers conferred under Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government extended the period of anti dumping duty up to 9th April 2006 vide Notification No. 85/2005-Customs dated 19 September 2005.

A. The Original Investigation

3. In the original investigation, the Designated Authority had recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Aniline originating in or exported from Japan and USA falling under Sub-heading 2921.41 of Schedule I of Customs Tariff Act. The preliminary findings were issued on 8.3.2000 and provisional duty was imposed on the subject goods vide

Customs notification No. 41/2000 dated 10th April, 2000. The Designated Authority issued final findings on 31.8.2000 vide Notification No. 33/1/99-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 128/2000 dated 6.10.2000.

B. PROCEDURE:

4. The procedure described below has been followed with regard to this sunset review investigation:-

(i) The Designated Authority sent a copy of the Initiation Notification dated 6th April 2005 to the Embassies of the subject countries, the domestic industry, the exporters and the importers as per the list available and requested them to make their views known in writing within forty days of the notification.

(ii) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the application to the following known exporters and Embassies of subject countries in India and according to sub-rule (4) of Rule 6 supra, the Authority also sent a questionnaire to the following known exporters to give information within forty days from the date of initiation of this review:

M/s Uniroyal Chemical Company Inc.
Middlebury, CT 06749, USA

M/s Aristech Chemical Corpn.
Pittsburg, PA 15219, USA

M/s Alfa Aesar
A Johnson Matthey Company,
Johnson Matthey Catalog Company Inc.,
Massachusetts 01835, USA

M/s Rubicon LLC
Geismar, LA 70734

M/s DuPont Global Headquarters
Wilmington, DE 19898

M/s DuPont Corporate Information Center
Wilmington, DE 19880-0705

M/s BASF
New Jersey 07932, USA

Bayer Corporate & Business Services,
Pittsburgh, PA 15205
USA.

M/s Honshu Chemical Industry Co.Ltd.
1-Chome, Tokyo 103, Japan

M/s Sumitomo Chemical
Osaka 541-8550, Japan

Mitsui Chemicals, Inc. Phenol Dept.
Tokyo 105-7117, Japan

M/s New Japan Chemical CO., Ltd.
JAPAN

(iii) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods;

(iv) The Embassies of the subject countries were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, application and questionnaire sent to the exporters was also sent to them;

(v) A questionnaire was sent to the following known importers/users/industry's associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4);

Aarti Industries Ltd
Mulund (W), Mumbai

Abir Chemicals Ltd
Ahmedabad

Alginates Allied Chemicals P Ltd
A-41 M.I.D.C Badlapur - 421503

Alpha Dyes & Chemicals
Ahmedabad

Anirox Pigments Ltd
Kolkata

Asiatic Color chem Industries
Ahmedabad

Atul Ltd
Hyderabad

Bayer India Ltd
Mumbai

Beck (India) Ltd
Pune

Bhageria Dyechem Ltd
Mumbai - 400 063

Diamond Dyechem
Mumbai

Gandhar Petrochemicals Ltd
Vadodara

Ganesh Chemicals Industries
Mumbai

Hindustan Inks & Resins Ltd
Vapi - 396 195

Industrial Solvents & Chemicals Ltd
Mumbai

International Dyestuff Industries
Vadodara

Jay Chemical Industries Ltd
Ahmedabad

Mangalam Drugs & Organics
Mumbai

Mayur Dyechem Intermediates
Ahmedabad

Meghmani Dyes & Intermediates
Ahmedabad

Metrochem Industries Ltd
Ahmedabad

M/s National Organic Chemical Industries Ltd.
Post : Turbhe, Off : Thane Belapur Road,

Nutan Dyechem
Surat

Pandasara Industries Ltd
Pandasara

Ravi Dyeware Co. Ltd.
Mumbai

Roop Dyes & Intermediates
Surendranagar

Schenectady Beck (India) Ltd
Mumbai

Sonkamal Enterprises P Ltd
Mumbai

Vipul Dyechem Ltd
Mumbai

(vi) Some of the interested parties requested for extension of time for submission of response which was allowed by the Authority.

(vii) The Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28 February 2006. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

(viii) The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7);

(ix) Arguments made by the interested parties after initiation of the sunset review, subsequent to the public hearing and in response to the disclosures have been appropriately dealt with in these findings;

(x) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 20 March 2006 vide a disclosure statement. Comments received on the disclosures have also been duly considered in these findings;

(xi) Cost investigations including spot verification (as deemed necessary) of the domestic industry were also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the domestic industry;

(xii) *** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(xiii) The investigation covered the period from 1st October 2003 to 30th September 2004. The injury analysis covered the three preceding years 2001-2002, 2002-2003 & 2003-04 in addition to the POI.

(xiv) Copies of the Initiation Notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc. for wider circulation.

C. Product under Consideration and Like Article:

5. The product under consideration is Aniline which is also known as Aniline Oil (hereinafter referred to as subject goods). It is covered under Customs Sub-heading No. 2921.41 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present findings. Aniline is a basic organic chemical for industries such as Dyestuff and Dye Intermediate, Drugs, Pharmaceuticals, Rubber Chemicals etc. Aniline is also used in other industries such as manufacture of Explosives and Resins etc. Aniline is an intermediate for Dyestuff, Rubber Chemicals (vulcanization, accelerators, anti-oxidants), Drugs such as analgin, sulpha drugs, Photographic chemicals (hydroquinone), Isocyanate (MDI).

The domestic industry has claimed that Aniline produced by the petitioners and Aniline imported from the subject countries is similar in terms of characteristics such as physical characteristics and chemical composition, manufacturing process and technology, plant and equipment, functions and uses and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. There are no arguments as regards the product under consideration and the like article. The Authority holds that Aniline produced by the Indian industry is a like article to Aniline imported from the subject countries.

D. Domestic Industry :

6. The producers representing the domestic industry viz. M/s Narmada Chematur Petrochemicals Limited (NCPL), Bharuch and M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), Mumbai have filed application substantiating the need for sunset review of the antidumping duty. The two producers account for a major proportion of the domestic production of Aniline. The Authority has considered the said producers to represent the domestic industry in accordance with the Rules supra.

E. Initiation of the Review, Responses received and Arguments raised:

7. In response to the initiation, responses have been made by the following:

(i) M/s Mitsui Chemicals, Inc. Japan-exporter

(ii) M/s Bayer Corporate and Business Services, Pittsburgh, USA sought extension of time for submission of response which was allowed. However, they did not furnish questionnaire response.

(iii) M/s National organic Chemical industries Ltd. (NOCIL) Navi Mumbai.- importer.

(iv) M/s Colourtex Industries Pvt. Ltd. Surat- importer.

(v) The Dyestuff Manufacturers' Association of India, Mumbai.
(vi) Domestic industry through M/s NCPL, Bharuch and HOCL, Mumbai.

F. EXAMINATION OF CLAIMS REGARDING NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

Domestic Industry's arguments:

8. Imports of Aniline in India

Huge imports of Aniline continued for the last several years. This establishes the fact that anti-dumping duties in force were never against imports per se. It was only to restrict dumped imports from different sources. The anti dumping duties imposed were to prevent the unfair trade practice of dumping the product in India and thus causing injury to the Domestic Industry. This further establishes the fact that allegations made by the importer that the users of Aniline in India were highly disadvantaged by imposition of ADD on different sources are baseless. In any case, USA, EU and Japan, are the only countries against which anti-dumping duties on dumped imports of Aniline is existing.

The information relating to imports of Aniline in India is given in the below given table:

Country	2001-02		2002-03		2003-04		POI	
	Qty MT	Rs/MT	Qty MT	Rs/MT	Qty MT	Rs/MT	Qty MT	Rs/MT
USA	2001	27919	3245	31803	1052	32425	1052	32425
Japan	0	0	0	0	22	40410	22	40410
Others	8807	28556	8426	22676	12707	35105	8155	36066
Total	10808	28438	11670	25213	13781	34909	9229	35661

It would be seen that

a) there were continued import from USA;
b) the improvements in price is a result of anti dumping duty in force and increase in the prices of inputs;
c) exports continued at dumping prices;
d) imports from Japan reached to insignificant levels as a result of existing measures;
e) there is every likelihood of recurrence of intensified dumping from USA and Japan in the event of revocation of present measures in force;
f) huge quantity of materials is imported from different countries, average price of which remained very low over the years. Such prices were below the sales realization and even below the cost of production of domestic industry.

9. Present anti-dumping duties need to be enhanced to offset continued dumping

There is substantial increase in the dumping margins from subject countries and the duties need to be enhanced to offset such increases in dumping margins. Domestic industry has provided adequate and accurate data to establish dumping margin in case of dumped imports from USA and Japan, which is relied upon.

10. Likelihood of continuation or Recurrence of dumping

The anti dumping legislature mandates that the Authority is compulsorily required to examine if there is any likelihood for the continuation or recurrence of dumping before the expiry of the duty in force.

In order to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping in a sunset review investigation, the Rules have not prescribed any specific methodology. Practices of the investigating authorities world over is also not uniform. In India, the dumping margin is recalculated for the updated period for the responding exporters, provided there are imports in the current investigation period. Should there be positive dumping margin in respect of exports made in the review period, it is likely that the dumping would continue with the revocation of anti dumping duties. However, should there be no exports in the current investigation period, the same does not imply no likelihood of recurrence of dumping. Other relevant factors are required to be examined in that case. For example, evidence of propensity for dumping can easily be determined by considering the evidence of dumping by the exporters in third country markets during the anti dumping duty in force.

Petitioner submits that the likelihood of continuation or recurrence of dumping can be examined by considering the following parameters:

11. Continuation of Dumping

In a situation where there are continued exports, the Designated Authority must examine whether the same were at dumped prices. In case exports to India are not at dumping prices, it must be examined whether the exports to third countries are at dumping prices and whether it appears that the export prices are reasonable and reliable. In case exports to India are at dumping prices, it should be held that the exporters would continue to export the subject good at dumping prices in case of revocation of anti dumping duties.

In the present case, the exporters and producers of both USA and Japan continued to export the material at dumping prices even when anti-dumping duties are existing.

12. Recurrence of dumping

In a situation where it is found that there are no exports of the subject goods from the country concerned in the relevant period, the Designated Authority is required to examine whether cessation of the anti dumping duty in force would result in recurrence of

dumping in the Indian domestic market. In the instant case, producers and exporters of Japan are not very aggressive in exporting the subject good to the Indian market due to the anti dumping duty in force. Thus, the anti dumping duty in force is acting as a deterrent to the foreign producers practice of dumping the subject product in India.

In order to examine whether expiry of the duty will allow the exporters from Japan to export the subject goods at increased levels to India once again at dumped prices, the Designated Authority must examine whether exports from Japan to third countries are at dumping prices and how those export prices compare with (a) the import price from other sources in India; (b) selling price of the Indian Producers. Indian Producers submit that in a situation where exports to third countries are at dumping prices and (a) such export prices are comparable to the export price from other countries to India; and (b) landed price of imports considering such prices are significantly below the selling price of the Domestic Industry, it must be held that the producers in these countries would resort to dumping the material in Indian market, should the present anti dumping duties be revoked.

Petitioner submits that it is the practice of other investigating authorities to examine possibilities of dumping in respect of third country exports particularly when there have been no exports to India in the current period. Should such exports be at dumping prices, the Authorities have held that dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties.

13. Level of current dumping margin

Petitioner has provided sufficient information with regard to dumping margins in section III of the petition filed. It may be seen that dumping margin continues to be significant. In the previously concluded investigation also, the Designated Authority found significant dumping margin and concluded the investigation with the imposition of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

14. Third Country Dumping

Petitioner submits that exporters/producers from subject countries are exporting huge quantities world over at dumping prices.

15. Excess Production Capacities in the subject countries

The table given below highlights the demand-supply ratio of Aniline in Japan:

Particulars	MT/Year
Mitsui Chemical	124000
Sumitomo Chemical Company	60000
Honshu Chemical	60000
New Japan Chemical Company	60000
Total Capacity	304000
Demand in Japan	196000

Surplus Capacity	108000

Note:- Mitsui Capacity as per Mitsui Submission
Other producers Capacity as per claim in NOCIL's response
Demand in Japan as per the news appeared in
www.highbeam.com/library/doc0.asp?DOCID

In light of the above mentioned surplus capacity existing in Japan, there exists no restraint or deterrent for the exporting traders to export the subject good to India at dumped prices. The imports reported from Japan in the present period of investigation shows that exporters/producers continue to dump the subject goods in the Indian Market and is also likely to intensify dumping in the absence of anti dumping duty in force. Significant volume of imports reported at dumped prices from USA in the POI is an indicator of possible situation of intensified dumping in the event of revocation of duties.

16. Significant market share of imports

Information with regard to market share of imports from subject countries and other countries is given in the information contained in the petition. It would be seen that market share of imports in demand of the subject goods in India from these countries declined till 2003-04 and the same showed increase in the period of investigations. Therefore, the market share of the subject countries would increase further in case duty in force is revoked. There is no reason to believe why producers in these countries would not sell significantly higher volumes in Indian market and increase their market share in the event of revocation of anti dumping duty.

17. Potential for a rise in dumped exports to India

Producers and exporters in USA and Japan are having excess capacity to produce. The capacity created by these producers are not only higher than demand in their countries but also, the capacities are unutilized. The capacity with even a single producer is higher than the total Indian demand. The continued imports from subject countries at dumped prices while anti dumping duties are in force is an indicator of continued interest of foreign producers in the Indian market.

Thus, from the above analysis the Petitioner draws the following conclusions.

a) There is excess capacity available in subject countries.
b) Capacities created by the producers in subject countries is higher than demand in their respective countries. They are clearly targeting at export markets including India.
c) The producers and exporters are having significant excess unutilized capacity, which can be used for increasing production for capturing other markets including India.
d) There is continuation of dumping from the producers and exporters from subject countries which would become more aggressive once the duty in force expires.

18. NORMAL VALUE

The domestic industry has provided information relating to Normal Value of Aniline in subject countries in the application filed. Domestic industry informed that efforts were made to get reasonable and authentic evidence about the prices of Aniline in the domestic markets of USA and Japan. Efforts were also made to get information about the price lists of the producers in these countries for their sales in the home market or commercial invoices raised by them or other traders for sales made in USA and Japan. However, no information published or otherwise could be traced from any authentic source as the product is not traded in retail market.

The domestic industry has estimated normal value in subject countries considering the best estimates of cost of production in subject countries. The cost of major raw material Benzene for Japan was based on reported price in Chemical weekly for the period October 2003 to September 2004. For USA the price of Benzene was based on reported price in Platt's report for the period October 2003 to September 2004. Other raw materials, conversion cost, selling general and administrative expenses have been taken based on domestic industry's data. Domestic industry has requested that the information provided by them in this respect may be relied upon to establish the normal value of subject product in the subject countries as no adequate and reliable information is filed by exporters from subject countries.

The authority finds that no questionnaire response has been furnished by the exporters from USA. M/s Mitsui Chemicals Japan has furnished response but they have made no exports to India during the POI. Their response was also found deficient as the information relating to allocation and apportionment of costs as per Appendix 7, allocation of SGA overheads in Appendix 9 has not been furnished. The company produces several products. Sufficient details have not been furnished to examine that cost of production shown can be verified from the furnished financial statements. The domestic industry has argued in the submissions subsequent to public hearing that from the non-confidential summary of the response that the exporter M/s. Mitsui Chemicals has not filed any meaningful questionnaire response to the Authority. In fact, the sole reason for the response filed appears to be only to argue that the exporter indeed responded. Domestic industry argued that the exporter should be considered non-cooperative unless all relevant information is provided by the exporter. The Authority has found the response of the exporter from Japan as deficient for the aforesaid reasons. The authority has considered the information provided by the domestic industry in the application for determination of normal value for Japan and USA based on facts available as per Rule 6 (8). While doing so, the authority has relied on the raw material price of Benzene for Japan as reported in the Chemical Weekly which is a widely circulated journal for chemical industry. As regards raw material Benzene price for USA, the prices reported in Platt's report for the period October 2003 to September 2004 have been considered. The cost of utilities, conversion cost, selling general and administration expenses have been taken on the basis of the cost of the efficient producer of the domestic industry. A reasonable profit margin has been added to determine the normal value.

19. EXPORT PRICE

The domestic industry has provided detailed calculations of export price in the petition filed. As per information collected by the petitioner, significant quantity is imported at Kandla Port and

JNPT/Mumbai Port which is not reflected in information released by DGCI&S. Export price is determined on the basis of information contained in application based on the imports reported as per DGCI&S, Kandla and JNPT port. Reasonable adjustments have been made from the export price so determined for expenses from ex-factory stage i.e. marine freight, insurance, customs and handling, inland expenses, commission. Information contained in the application has been used by the authority to the extent found reasonable treating as facts available in terms of Rule 6 (8).

20. Dumping Margin :

The Authority followed the consistent practice of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price and Margin of Dumping as laid down in Annexure I to the anti-dumping rules. Based on the Normal Value and export price determined as above, the Authority has determined the following dumping margins (%):

Country	Dumping Margin (%)
Japan	49.75
USA	78.33

G. INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY

Issues raised by the domestic industry :

21. Assessment of injury – Recurrence of injury to the domestic industry in the event of withdrawal of anti dumping duty.

The domestic industry has stated that in the sunset review the Authority is required to examine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury in accordance with Article 11.3 of the Anti Dumping agreement and as per Section 9 A (5) of the Customs Tariff Act and Rule 23.

22. Impact of dumped imports on the domestic industry

The performance of the domestic industry after imposition of anti dumping duty improved. However, performance could not improve to optimum levels due to continued dumping from present as also fresh sources after imposition of ADD. Domestic industry faced injury from dumping from EU. Domestic industry has not been able to benefit to the extent of full quantum of relief granted by the Authority. In fact, situation of the domestic industry has remained fragile.

23. Assessment of demand

The demand of the product has shown about 11.58% increase over the proposed injury period and there is no contraction in demand for the product in India. Market share of the dumped imports declined as a result of existing antidumping duties. When there is ample presence of dumped material in the Indian market in spite of anti dumping duty being in force, Indian

Producers submit that there is likelihood of significant increase in imports in case present duties are revoked.

24. Volume Effect of dumped imports

	2001-02	2002-03	2003-04	POI
Country	Qty MT	Qty MT	Qty MT	Qty MT
USA	2001	3245	1052	1052
Japan	0	0	22	22
Others	8807	8426	12707	8155
Total	10808	11670	13781	9229

It is evident that

a) Imports declined significantly after imposition of anti dumping duty. The same have however, remained significant in the proposed investigation period;

b) Imports from Japan reached insignificant levels after imposition of anti dumping duty.

Imports would increase further, should the present anti dumping duties be revoked.

25. Price Effect of dumped imports

With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules is relevant.

In order to assess the effect of imports on prices of the domestic product in the domestic market, it may be seen that the exporters from subject countries have continually kept their prices at lower level in respect of their exports to India. Net sales realization of the domestic industry has been determined considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts & commissions. Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. It would be seen that landed prices after including basic customs duties from Japan and USA were significantly below the net sales realization of the domestic industry. The price undercutting is significantly positive during the period of review and the same needs to be examined while considering the likelihood of recurrence of injury, in case the duty is allowed to expire.

26. Economic Parameters relating to the Domestic Industry

Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The examination of the performance of the domestic industry would reveal that the domestic industry has benefited from imposition of duties and its performance in various parameters showed positive growths. The profitability situation of the domestic industry remained in a financial losses, adverse cash flow and negative return on investment situation and the same is due to the continued dumping from subject countries and the difficulties faced by the industry in passing on significant increases in raw material costs to the customers in the presence of such

dumped imports. However, injury to the domestic industry is likely to go to aggressive levels, should the present anti dumping duty in force be allowed to expire, as discussed under the heading likelihood of continuation or recurrence of injury. Indian Producers submit that examination of performance of the domestic industry would reveal that the imposition of anti dumping duty on subject countries as also other countries have helped the domestic industry to improve its performance. However, the domestic industry has not been able to improve to the optimal level due to continued dumping. Further, should the present anti dumping duty be revoked, injury to the domestic industry would recur & intensify.

a) Actual and potential decline in production, capacity and capacity utilization

It is evident that production and capacity utilization of domestic industry increased by the present period of investigation.

b) Profits

It is evident that the profitability situation of the domestic industry showed substantial improvements by the present period of investigation. Even though the losses reduced in the current investigation period, the industry continued in losses. Such being the situation, it is obvious that with the revocation of anti dumping duties, profits of the domestic industry would once again deteriorate.

c) Market share

The share of imports from subject countries in Indian demand even though declined after imposition of duties, the same however remained significant in the present period of investigation. It would also be seen that the market share of domestic industry and Indian Industry which has been declining due to imports from subject countries in the original investigation showed increasing trends by the POI of present investigation thus showing a positive impact of prevailing antidumping duties. Such being the case, the market share of the Indian industry would decline should the imports be allowed at dumping prices. Indian industry has been able to maintain and improve its sales and market share because of imposition of the duty.

d) Employment and Wages

Wages of the domestic industry showed declining trends in respect of HOCL as a result of declines in employment level. The domestic industry was able to reduce wages per unit of production.

e) Productivity

Productivity per employee improved during the period of investigation along with the improvements in production and reduction in employment level.

f) <u>Factors affecting domestic prices</u>

With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. It would be seen that

a) landed prices from Japan and USA have been significantly below the net sales realization of the domestic industry. Thus revocation of anti dumping duty would result in significant price undercutting;

b) the prices improved in the investigation period after imposition of anti dumping duty on all sources resorting to dumping.

Aniline industry is extremely price sensitive industry. Any change in the import prices directly affects the prices in the domestic market. Given huge price difference between the domestic and imported product, it is obvious that any price difference would result in significant price pressure on the domestic industry.

g) **Return on investments and Cash Flow**

It is evident that PBIT of the domestic industry improved after imposition of duty. However, still PBIT of the domestic industry has not reached to positive levels. The domestic industry continued with negative PBIT and consequently negative cash flow and return on investments.

h) **Inventories:**

The volume of inventories remained insignificant over the years by the dedicated efforts of the company and as a positive impact of existing anti dumping duties.

i) **Growth**

Growth of the domestic industry is shown in the following table.

Growth	Unit	2002-03	2003-04	POI
Growth in Turnover	%	16.38	-17.02	33.46
Growth in Sales Qty	%	5.59	-12.71	11.75
Growth in Demand with Captive	%	11.39	0.04	0.13
Growth in Imports	%	7.98	18.08	-33.03
Growth in Production	%	10.77	-9.44	12.62
Growth in Capacity Utilisation	%	10.77	-9.44	12.62
Growth in Selling Price	%	10.22	-4.94	19.43
Growth in Cost of Production	%	7.49	1.18	-0.95

It is evident from the above that growth of the domestic industry in number of parameters show positive trend. Growth of the domestic industry in various parameters is the result of prevailing anti-dumping duties as the same helped the domestic industry in achieving or retaining its market share. Even though the growth of the domestic industry has improved in respect of few parameters, the situation can not be regarded as satisfactory considering the financial losses, cash flow and return on investments.

Thus, in view of the above analysis it is reiterated once again that the investigation is a sunset review investigation for review and continuation of anti dumping duty in force against Japan and USA. Performance of the domestic industry therefore improved as a result of imposition of anti dumping duties on these various sources. However, the performance of the domestic industry continues to be sub-optimal and the industry is clearly in fragile situation. Such being the case, revocation of anti dumping duties at this stage when the dumping continues and the domestic industry is not fully recovered clearly implies likelihood of renewed injury. In any case, assuming though not admitting that the domestic industry was not suffering injury in the review investigation period, the fact that the imports are not continuing to cause injury to the Domestic Industry is not by itself a reason for removing existing anti-dumping measures.

While analyzing injury to the domestic industry, Designated Authority may kindly consider impact of anti dumping duty in force, which would have resulted in positive improvement in various injury parameters. In the absence of any current injury to the domestic industry the Hon'ble Designated Authority is required to examine injury to the Domestic Industry by examining the likelihood of recurrence of injury, which is imminent in the absence or expiry of the antidumping duty in force.

27. Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury in Sunset Review Investigation

The purposes for initiating a sunset review are:

- To examine whether the imposition of the duty is necessary to counteract dumping, or
- To examine whether the injury is likely to continue or recur if the duty was removed or varied, or
- Both

The determination of injury to the Domestic Industry under a sunset review investigation should be based on the examination whether the expiry of the antidumping measure is likely to result in continuation of injury or recurrence of injury. In order to determine the effect of the expiration of the duty in force would have, the Designated Authority is required to conduct an investigation with regard to likelihood of continuation or recurrence of both dumping and injury. In a sunset review in evaluating the likelihood of impact of the imports of the subject good, the Authority is required to examine "all relevant economic factors" having a bearing on the state of the domestic industry but this examination is not limited to only these parameters examined in a anti dumping investigation. The Designated Authority may consider examining four enumerated factors to determine the likelihood of continuation or recurrence of injury:

1. any likely increase in the production capacity or existing unused production capacity in the exporting country.
2. existing inventories of the subject good, or likely increases in inventories,
3. the existence of barriers to the importation of the subject good into countries other than India;
4. the potential for product shifting if production facilities in the foreign country, which can be used to produce the subject good, are currently being used to produce other products.

Keeping in mind the purpose behind the provision relating to sunset review the Hon'ble Designated Authority is required to consider whether expiry of the duty in force would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and hence injury. Thus, the injury analysis under a sunset review investigation requires an examination of the a) the likelihood of continuation of injury to the domestic industry, b) the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry and c) other market evidence indicating the likelihood of further injurious dumping and injury. The above referred criteria can be explained by the following two situations:

A. Likelihood of Continuation of Injury:

In the present case, the injury suffered by the domestic Industry was minimized and the industry has shown positive performance in some of the parameters during the life of the order. However, the Domestic Industry continued to suffer financial losses and it was yet to earn reasonable rate of return. It is expected that the condition of the domestic industry would improve under the discipline of the anti dumping duty imposed. Thus, performance of the domestic industry has remained fragile and the domestic industry is prevented full recovery. Even if it is assumed that there is no continued injury to the Domestic Industry, injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of the duty in force.

Section 9A(5) requires the Designated Authority to examine whether the dumping and injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties. Present performance of the Domestic Industry is relevant only to the extent that the same shows the existence or otherwise of continued injury. Should the Designated Authority hold that the domestic industry has not suffered continued injury, it should be noted that the improvement in the present performance is due to anti dumping duty in force and in such a case, the Designated Authority is required to examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

B. Likelihood of Recurrence of Injury:

In a situation where there is no continued injury to the Domestic Industry, it is mandatory for the Designated Authority to examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of expiry of the anti dumping duty in force. In the present case, though the Domestic Industry is showing positive performance due to the duty in force, yet situation of the domestic industry remained fragile and the domestic industry was prevented complete recovery in its performance.

Following would be relevant to likelihood of recurrence of dumping and injury:-

1. whehter dumping and injury continued;
2. whether removal of injury is partly or solely due to the existing measures;
3. whether the circumstances of the exporters or market conditions are such that the same indicate likelihood of further injurious dumping.

Given the volume of imports over the injury period, the level of the import prices, level and price of imports from non subject countries, price at which product has been exported by the Foreign Producers in other markets, surplus undisposed capacities available with the Foreign Producers, it is inevitable that revocation of anti dumping duty would potentially result in significant increase in imports. In a situation where the goods have been exported to India inspite of existence of anti dumping duty in force, the volume of imports is likely to at best increase further in case the present anti dumping duties are withdrawn.

28. Price Effect

The comparison was done between net sales realization o domestic industry and landed price of imports from USA and Japan which shows significant positive price undercutting is an indicator of the situation if the present duties are revoked. Thus imports would result in significant price undercutting in the event of revocation of anti dumping duty. Evidently, the effect of dumped imports on the domestic industry would be quite adverse in the event of revocation of anti dumping duty.

29. Other Factors suggesting likelihood of recurrence of injury

Domestic industry submits that the following factors suggest that the domestic industry is likely to suffer injury, should the present duty in force is revoked.

a). Third Country Dumping

Domestic industry submits that producers and exporters from subject countries are dumping Aniline in other world markets also. Reasons for such dumping in the third world market are to be seen in the context of increasing surplus capacities in the product existing with the producers in these countries.

When producers in these countries are exporting so significant volumes to third countries at dumping prices, there is no reason to believe that their export price to India is likely to be substantially higher than the price at which the goods have been exported to third countries in the investigation period.

b). Vulnerability of the domestic industry

The domestic industry suffered continued injury from dumped imports for quite some time, albeit with different sources. This clearly establishes that the domestic

industry is vulnerable to injury from dumped imports. There is a great possibility that revocation of duty will result in flooding of the material in the Indian market.

c). Ample production capacity of exporters

Producers in subject countries are having significant surplus production capacity, whereas demands of product in their respective countries are significantly lower. Significant quantity of Aniline is being exported from these countries. Even after exporting material and selling in their domestic market, the producers in these countries are having excess unutilized capacities. Revocation of present duty would therefore result in significant imports in Indian market.

d). Significant market share of imports:

Market share of imports in demand of the subject goods in India from these countries are significant. Market share of the subject countries would therefore at best increase further in case duty in force is revoked. There is no reason to believe why producers in these countries would not sell significantly higher volumes in Indian market and increase their market share in the event of revocation of anti dumping duty.

e). Level of dumping margins

Dumping margin in respect of exports made in the present investigation period is very significant. In the previously concluded investigation also, the Designated Authority found significant dumping margin. In fact, dumping margin has increased after the original investigations and in the present POI.

f). Export orientation of foreign producers

Producers in subject countries have built capacities far in excess of their domestic demand. Evidently capacities have been created considering export markets. Indian market being one of the huge markets in terms of its size, revocation of duty would result in significant surge in imports.

g). Price attractiveness of Indian market

The price at which material is being sold in the Indian Market is higher than price at which material is being exported to some of the other countries. Prices prevailing in the Indian market are higher than some of the other markets where the Foreign Producers are selling the material. Therefore, in case of revocation of duty, Indian market will be a natural preference to exporters.

From the foregoing, it is evident that that

a) the domestic industry is suffering continued injury from continued dumped imports from Japan and USA

b) revocation of anti dumping duty would result in further recurrence of injury to the domestic industry.

30. Causal link not relevant in a review investigation

The Indian Producers submit that causal link has no relevance in a review investigation. The main purpose of a review petition is

a) to examine whether the imposition of the duty is necessary to counteract dumping, or
b) to examine whether the injury is likely to continue or recur if the duty was removed or varied, or
c) both.

Thus, a review investigation is intended to determine whether revocation of the duty in force is justified considering likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

The causal link has already been established in the original investigation. In the present Rev. investigations, the Hon'ble Designated Authority has to examine whether the revocation of a... dumping duty would lead to continuance/recurrence of dumping and injury.

Inspite of the above, the Indian Producers submit that there exists a causal relationship between the condition of the Domestic Industry and the dumping from the subject counties with regard to the subject goods, as would be seen from the submissions below.

Other factors have not caused injury to the domestic industry: . Indian Producers submit that the other known listed factors have not caused any injury to the domestic industry, as established below: -

a) **Volume and value of imports not sold at dumping prices**: - Indian Producers have earlier provided information on volume and value of imports from all countries including subject countries. It would be seen that (i) volume of imports from other countries are either de-minimus; or (ii) import price from these countries are significantly higher than the import price from the subject countries, or (iii) imports from these countries are already attracting anti dumping duty.

b) **Contraction in demand**:- The injury statement enclosed contain sufficient information with regard to demand of the product under consideration over the entire injury period. It would be seen that the demand of the product under consideration has not registered any negative growth. Contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to injury to the domestic industry.

c) **Changes in the patterns of consumption**:- The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

d) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**: - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e) **Developments in technology**:- Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology is not a factor of injury.

f) **Productivity**:- Productivity of the domestic industry has not deteriorated. It cannot, thus be said that the injury to the domestic industry has been caused by decline in productivity.

Indian Producers submit that once it is shown that:

(a) there is a volume and price effect from dumped imports under paragraph (ii) of Annexure II,

(b) the effects of injury caused by dumped imports are demonstrated in terms of the parameters set out in paragraph (iv) of Annexure II,

Therefore, the only basis on which to conclude that the injury is not caused by the dumped imports is through non-attribution analysis, i.e., that other factors have caused the injury. As demonstrated in the preceding paragraphs, listed known other factors do not establish that injury has been caused to the Domestic Industry by these other factors. Such being the case, the only inescapable conclusion is that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from subject countries.

Factors establishing causal link: - While the above parameters establish that injury to the domestic industry is unlikely to be caused by the other factors, Indian Producers submits that the following parameters establish that the injury to the domestic industry is likely to be caused by the dumped imports in the event of revocation of anti dumping duties.

(a) Imports from subject countries would result in significant price undercutting in the event of revocation of anti dumping duties. Such being the case, increased importation of the subject good from the subject countries is most evident.

(b) Existence of significant price undercutting in the event of revocation of anti dumping duties and price sensitivity of the product would result in consumers increasingly switch over to the imports.

(c) Should the consumers increasingly switch over to the imports, domestic industry would be left with options of (i) loosing sales volumes; or (ii) reduce the prices. Either situation would result in injury to the domestic industry.

(d) Should the domestic industry be forced to reduce the prices, it is obvious that the profitability, cash flow and return on investment of the domestic industry would be adversely and materially affected.

(e) Should the domestic industry prefer to loose sales volumes, it would spell much bigger injury. This would have adverse impact on the sales volumes and resultantly on production and capacity utilization.

(f) Inability of the domestic industry to affect legitimate price increases in the past was not successful due to presence of dumped imports. Thus, domestic industry suffered inadequate profits due to dumped imports.

(g) Continued financial losses have had very adverse impact on the return on capital employed and cash flow. Thus, profits, ROI and cash flow have continued to be adverse due to continued presence of dumped imports (even though these have shown some improvement). Revocation of anti dumping duty would potentially result in adverse impact on ROI and cash flow.

(h) In a situation where the performance of the domestic industry continued to be fragile with the imposition of anti dumping duties due to imports from subject countries as also other countries, it is evident that the performance of the domestic industry would deteriorate with the revocation of anti dumping duties to aggressive levels.

It is thus evident that the domestic industry is in the process of recovering from the past effect of dumped imports and has been prevented full recovery from such injury due to continued dumping of the product. Further and more importantly, revocation of anti dumping duty would result in domestic industry once again facing injury from such dumped imports. Injury to the domestic industry would therefore be likely from such dumped imports.

31. In view of the above submissions, Indian Producers reiterate once again that:

1. Product under consideration continues to be exported to India at dumping prices from subject countries viz. USA and Japan.

2. There is imminent evidence to believe that the present volume of imports from subject countries will significantly go up with declines in prices in the event of revocation of duties.

3. Though the performance of the domestic industry improved in respect of a number of parameters (essentially volume parameters), the performance remained adverse in respect

of a number of parameters (essentially price parameters). Overall, the domestic industry has suffered continued injury.

4. Even if it held that the domestic industry has not suffered material injury during the period of review, the positive state of the domestic industry would be disturbed once anti dumping duty expires. Further, mere positive state of the domestic industry is not a sufficient ground to allow the duty in force to expire without examining the likelihood of recurrence of injury. The same has been upheld by the WTO Appellate Body in the matter of US – Sunset Review of Anti Dumping Duties on Oil Country Tubular Goods from Argentina.

5. In any event, injury to the domestic industry would recur should the present anti dumping duties be revoked.

6. In view of all the above submissions, the anti dumping duties are required to be extended for a further period of five years to protect the domestic industry from suffering injury due to dumping.

7. The quantum of anti dumping duties are required to be suitably enhanced to account for the revised dumping margin and injury margin.

32. Comments made by NOCIL:

- Aniline is an industrial raw material and is used in the manufacture of dyes, drugs, rubber chemicals, photographic chemicals etc. which are in turn used for the manufacture of products of mass consumption.

- Domestic industry manufacturing Aniline is trying to secure monopolistic position in the market to the detriment of user industry in India by filing anti dumping petition.

- The imposition of anti dumping duty has resulted in increase in the prices of the downstream products.

- The alleged "Dumping prices" have started correcting from II qtr'99 itself reaching a level of $ 740 - $ 780/T nearly 80% more than the levels mentioned in AD petitions.

- The price rise has started accelerating from '03 and are now at the level of $ 1500/T or above.

- Domestic manufacturers continue to operate with same sub-optional capacities even after 5 years whereas, World over, the minimum economic size is 100000 TPA or above and seldom less than 60000 TPA.

- Customs Duty on Benzene, basic feed stock for aniline continues to be pegged much lower than duty on Aniline giving natural and additional tariff protection to Aniline producers (5% duty on Benzene; 15% duty on Aniline).

- Domestic producers of Aniline have consistently and often steeply revised their selling prices in line with the International prices taking full advantage of absence of free trade consequent to Anti Dumping levies from all Global sources of Aniline namely Japan, USA and EU.

- Aniline manufacturers have enjoyed rising profits due to hardening of international prices and a uniquely held position of choked imports as a result of AD duties set at rather higher levels 25% - 45% on median prices with no reference import price.

- Buoyed by robust demand hardening international prices and steep duty protections throttling free imports, Domestic Aniline producers have reaped windfall profits at the cost of user industry.

- In an Industry comprising of only two producers, the monopolistic element has led to domestic manufacturers benefiting at the cost of Users with continuance of Anti Dumping levies.

33. Comments made by The Dyestuffs Manufacturers' Association of India:

The anti dumping duties imposed on imports of Aniline from Japan and USA are inequitable, irrational and uncalled for. These duties were in the books now for six years, even if justified when imposed (they were not) had outlived their purpose and need to be rescinded. International Aniline price today at $1200/T cannot be right and spot prices may much lower or even by 50% from contract prices.

NCPL has not passed on the benefits arrived by major productivity gains and cost management NCPL profits are not attributable to Aniline only since the company is a multi-product company. The company has only two products i.e. Aniline and TDI and both are profit making products.

HOC's new catalyst is more than five years old development and the consuming industry should not pay for the companies high cost material situation.

As regards surplus capacity of producers in Japan, our understanding is that Japan has no surplus and in any case has not exported Aniline to India for the past six years.

As regards Aniline price rise, it is misleading to compare the price increase in percentage term since what is relevant is differential or spread between Benzene costs and Aniline prices. These have been very healthy and have been always in favour for the producers at the cost of consumers.

In the case of HOC, it is a case of self-inflicting injury of huge and irrational investment gone awry and not as a result of Aniline. Their production of Aniline has steadily dropped from 20000 tons to about 15000 tons due to technical constraints and ceding market share to NCPL.

34. Analysis of Injury by the Designated Authority

The authority has analyzed the injury information in respect of various injury parameters of domestic industry.

35. Volume of Imports

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Japan	MT	0	0	22	22
USA	MT	2001	3245	1052	1052
Subject Countries	MT	2001	3245	1074	1074
Other Countries	MT	8807	8426	12707	8155
All Sources	MT	10808	11670	13781	9229

The Authority found that imports from Japan had virtually stopped and were very small in the POI. However, imports have continued from USA.

36. Market share in Demand

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
- Total Imports	MT	10808	11670	13781	9229
- Sales of Domestic Industry (Including Captive)	MT	40650	46102	44016	48650
- Demand	MT	51458	57772	57796	57879
Trend	Indexed	100	112	112	112
- Market Share in Demand					
Japan	%	0.00	0.00	0.04	0.04
USA	%	3.89	5.62	1.82	1.82
Subject Countries	%	3.89	5.62	1.86	1.86
Other Countries	%	17.12	14.58	21.99	14.09
Import from All Sources	%	21.00	20.20	23.84	15.95
Domestic Industry	%	79.00	79.80	76.16	84.05

The market share in demand of the domestic industry has improved in POI from 79% to 84%. The share of the imports from subject countries in demand has declined to 1.86%.

37. Production, Sales and Capacity utilization of domestic industry

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Capacity	MT	60100	60100	60100	60100
Production	MT	40668	46282	44101	48192
Capacity Utilisation	%	67.67	77.01	73.38	80.19
Domestic Sales	MT	40633	45497	42893	46928

The production of the domestic industry has increased in POI in comparison to base year from 40668 MT to 48192 MT. The capacity utilization has improved from 67.67% to 80.19%. Sales have also increased from 40633 MT to 46928 MT.

38. Profitability

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Cost of Production					
Trend	Indexed	100	103	109	122
Selling Price					
Trend	Indexed	100	107	102	123
Profit/Loss					
Trend	Indexed	-100	-65	-174	-108

The domestic producers suffered losses in the sale of subject goods during the POI.

39. Return on Investments

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
ROCE	%	-9.24	-6.32	-30.87	-20.22

The returns on investments were negative in respect of the subject goods.

40. Cash Profit

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Cash Profit	Indexed	-100	-56	-231	-137

The cash profits of the domestic industry continued to be negative

41. Inventories

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Closing stock	MT	66	2530	1509	571
Inventory as %age of production	%	0.16	5.46	3.42	1.18

The closing stock of the finished goods was higher in comparison to the year 2001-02. However, it has come down to 1.18% of production when compared to 5.46% in 2002-03. The inventory has shown an overall decline.

42. Price undercutting & Price suppression

Price undercutting from imports from USA without anti dumping duty was in the range of 20-25% and with anti dumping duty was in the range of 1-5%.

Price undercutting from imports from Japan without anti dumping duty was in the range of 1-5% and with anti dumping duty it was negative.

Price suppression from imports from USA with anti dumping duty was in the rage of 10-15%.

Price suppression from imports from Japan with anti dumping duty was in the rage of 5-10%.

43. Employment

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Employment	Indexed	100	98	96	98

The employment level of the industry did not show any material change.

44. Wages

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Wages & Salaries	Indexed	100	80.53	125.73	132.13

The increase in the wages during the injury period showed increasing trend. The increase in the year 2003-04 from the previous year was significant.

45. Growth

Particulars	Unit	2001-02	2002-03	2003-04	Oct 03-Sep 04 (POI)
Growth in Turnover	%	-	22.09	-11.74	31.98
Growth in Sales Qty	%	-	11.97	-5.72	9.41
Growth in Demand with Captive	%	-	12.27	0.04	0.14
Growth in Production	%	-	13.80	-4.71	9.28
Growth in Selling Price	%	-	9.04	-6.39	20.64
Growth in Cost of Production	%	-	3.26	5.21	11.10

The domestic industry showed growth in terms of parameters such as turnover and sales.

46. Overall assessment of injury:

The authority has analyzed the injury parameters of the domestic industry as above and has found that generally the situation of the domestic industry improved in the injury assessment period. The production of the domestic industry increased, capacity utilization improved, the

sales increased, market share in demand improved. Overall the domestic industry showed growth. Price undercutting as a result of dumped imports from USA was evident even after including the existing anti dumping duty. Though in the case of Japan where imports were very little, the price undercutting was evident without adding the anti dumping duty but it was negative by adding the anti dumping duty. However the domestic industry continued to incur losses in the sales of subject goods. The returns on investments were negative. The domestic industry continued to suffer cash losses. The present state of the industry is to be seen keeping in view the existing anti dumping duty on imports from subject countries and EU. The improvement in overall performance of the domestic industry in parameters like production, capacity utilization, sales, market share show that the industry was able to perform better due to the present anti dumping duty. The imposition of the anti dumping duty had the effect to give the domestic industry the cushion to compete with the prices of the imports emanating from subject countries.

As regards examination of causal link, the authority is of the view that this is a sunset review where it has to be examined as to whether the cessation of the anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The current status of the domestic industry has been impacted by the anti dumping duty imposed on imports of USA and Japan. Anti dumping duty had also been imposed on imports from EU. Therefore, examination of link as a result of current dumping from subject countries does not remain relevant. However as regards some of the arguments that the injury to HOCL is self-inflicted and their production has steadily dropped, the authority found that the production of HOCL during the POI was 16059 MT in comparison to 14436 MT during 2001-02. The demand of Aniline has also been increasing and it was 57879 MT during POI in comparison to 15458 MT during the year 2001-02. Therefore, contraction in demand cannot be a cause of injury. The productivity of the domestic industry also improved during the POI. The technology for production of the product has not undergone any change and thus cannot be a material factor for injury. No trade restrictive practices were evident which could have contributed to the injury.

47. Likelihood of recurrence of dumping and injury

The domestic industry has furnished information regarding the availability of exportable capacity of producers in Japan. As regards imports from Japan, the current imports during the POI were only 22 MT which account for about 0.04% of market share. There were no imports from Japan during the years 2001-02, 2002-03 and 2003-04. The domestic industry has furnished evidence of significant surplus capacity of producers in Japan which indicates an exportable capacity of 108, 000 MT per year. The response of M/s Mitsui Chemical, Japan showed that they had not exported to India. However, they had made exports of certain quantity to other countries,which is not insignificant. It is also found that most of the exports made to other countries was at dumped prices when compared to the sales price of subject goods sold in domestic market in Japan. The authority thus can reasonably conclude that dumping from exporters from Japan would recur if the anti dumping duty is withdrawan.

Dumping has continued from USA. The authority noted that the imports of subject goods continued from USA during the injury period. The market share of imports from USA in demand was 1.82%. The Authority considers that the dumping would intensify if the duty is removed. The state of the domestic industry at present is of recovery and showing signs of improvement. It still continues to have losses. With the withdrawal of duty the dumping is likely to intensify and this would also result in recurrence of injury to the domestic industry.

H. CONCLUSIONS

48. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that in the sunset review investigation:

(i) Subject goods have been exported to India from subject countries below its normal value and thereby resulting in dumping;

(ii) The domestic industry has shown some signs of improvement; however, it continued to suffer injury;

(iii) There is likelihood of continuation of dumping and likelihood of continuation and recurrence of injury in case the anti dumping duty imposed on imports of Aniline from USA and Japan is withdrawan.

49. The Authority, therefore, in accordance with Section 9A (5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended, decides to recommend the continuation of the anti-dumping duty on imports of Aniline from USA and Japan. The amount of anti dumping will be equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. The landed price of imports was also compared with the non-injurious price of the domestic industry, determined for the period of investigation. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties be imposed on Aniline originating in or exported from the subject countries falling under Sub-Heading 2921.41 of the Schedule I of Customs Tariff Act. The anti-dumping duty shall be the amount mentioned in Col. 9 in the following Table in US$/MT:

S.No	Sub-Heading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2921.41	Aniline	All types	USA	Any country	Any producer	Any exporter	345	MT	US$
2.	2921.41	Aniline	All types	Any country other Japan	USA	Any producer	Any exporter	345	MT	US$
3.	2921.41	Aniline	All types	Japan	Any country	Any producer	Any exporter	143	MT	US$
4.	2921.41	Aniline	All types	Any country other USA	Japan	Any producer	Any exporter	143	MT	US$

50. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.